(1) STATUTORY RESOLUTION SEEK-ING DISAPPROVAL OF THE ARMS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1983 (NO. 4 OF 1983) PROMULGATED BY THE PRESIDENT ON THE 22ND JUNE, 1983

(2) THE ARMS (AMENDMENT) BILL, 1983

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the statutory Resolution and the Bill. Shri Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : मैं श्रापकी ग्रनुमति से संदल्प करता हू कि :

"यह सभा 22 जून, 1983 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ग्रायुध (संशो-धन) ग्राध्यादेश, 1983 (1983 की संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

श्रीमन, यह ग्रध्यादेश जिसको वह एकट के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, इसकी भावना से मैं सहमत हं, लेकिन जिस भावना से यह विधेयक रखा गया है, उसको पूरे तौर से पूरा नहीं करता । मुख्यतः कि अध्यादेश इस दृष्टि से जारी किया गया था कि हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है, झंझट-झगड़े उभर रहे हैं। अच्छा होता यदि इसके साथ यह जानकारी दी जाती कि जब से ग्रध्यादेश जारी निया गया, जुन में, उसके बाद दुरुपयोग की दिःतनी दुर्घटनाएं हई हैं और सरकार ने उस दुरुपयोग को रोवने के लिए क्या-क्या कार्यवाही जून से लेकर ग्रब तक की है और मैं समझता ह कि मंत्री महीदय इस बात की व्याख्या करेंगे जिससे विधेयवा नीतिपूर्ववा न रखकर अच्या-देश के हारा लाया गया था ?

जब मैं कहता हूं िः यह उन ग्रावश्यकताश्रों को पूरा नहीं करता, जिन ग्रावश्यकताश्रों की दृष्टि से यह ग्रध्यादेश

जारी लिया गया था, तो मेरा कथन दो प्रकार की चीजों से है। इसमें बार-बार यह कहा गया था कि जो डिस्टर्बड एरियाज है, उनमें विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था उसकी रोकथाम की होनी चाहिए। उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने इसमें एक जठि की है, यह तो बताया है दिः जो लाइसेंसड हथियार हैं, उनको न रखा जाए, न लांया जाए, उनको जप्त कर लिया जाए, लेकिन मैं पूछना चाहंगा कि जो डिस्टर्वड एरियाज में हथियारों का उपयोग प्रायः होता है, सब जानते है कि वह प्रायः ग्रनवाइसें ड होते हैं, लाइसेंस्ड नहीं होते । तो ग्रन-लाइसेंस्ड हथियारों ना उपयोग डिस्टर्बड एरियाज में और सामान्य स्थिति में होता है, इसका ग्रंतर कोई भी रखा नहीं गया है। इस बात का अन्तर होना चाहिए था। तीन साल की सजा लगभग कही गई है कि कोई बिना लाइसेंस हथियार रखता है, तो तीन साल की सजा होती है। यह तीन साल की सजा बहुत कम होती है, लेकिन ग्रावश्य-कता ग्रब इस बात की है कि ग्रब जब डिस्टर्बंड एरियाज में दुरुपयोग के लिये हथियारों को रोक रहे हैं, तो जो डिस्टर्बड एरियाज में, खास तौर से ग्रनलाइसेंस्ड हथियार का उपयोग करता है, उसके लिए तीन साल की सजा बहुत राम है, ज्यादा होनी चाहिए।

तो मेरा लहना यह है कि जो ग्रावक्यकता ग्रापने दिखाई है, उसको पूरा ही नहीं किया गया है।

दूसरा बिंदु जिस पर मैं इसका विरोध करना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे यहां जो झगड़े हो रहे हैं, वह विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं और उन झगड़ों में विदेशियों का भी हाथ है— यह सन्देह सरकार को भी है ग्रौर जनता को भी है। उन झगड़ों के ग्रंदर किन हथियारों का प्रयोग होता है ? श्रीमन, जो लाइसेंस वाले हथियार है, उनका उपयोग नहीं होता है केवल, उनका भी उपयोग नहीं होता ऐसे अनलाइ-सेंस्ड हथियार जो इस देश में बनते हैं। ऐसे हथियार पकड़े गये हैं प्रायः जिनका कि विदेशों से जागमन हुजा है। उन हथियारों के लिए आपने कुछ नहीं कहा, जो विदेशों से स्मगल्ड हथियार हैं, उनके लिये ग्रापने ग्रौर विशेषतया ग्राज के झगडों के ग्रन्दर इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। जो स्मगल्ड हथियार हैं, उनके लिए केवल जो प्राना कानून है कस्टम्स एक्ट, 1962 का, वही लागू होता है। कस्ट-म्स एकट तो उन पर लागु होगा जो, श्रीमन, स्मर्गालग करते हुये पकड़ लिया जाये, या हवाई-जहाज से लाते पकड़ लिये जाएं ।

लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा बार्डर मिला हुग्रा है, बंगला देश के साथ मिला हुग्रा है, चीन के साथ मिला हुग्रा है, यहां पर ऐसे हथियार हैं, ग्रौर ऐसे तत्व हैं जो राजनी-तिक, ग्रराजनीतिक इतर उददेश्यों के लिए भी हथियारों का गैर-कानूनी तौर से खरीदो-फरोख्त करते हैं। उसके लिए ग्रापने कुछ कहा ही नहीं है।

ar sign that is

तो मेरा, श्रीमन्, ग्राप से निवेदन यह है कि ग्रब न सही, बाद में जो स्मगल्ड हथियार हैं, जिनका उपयोग वास्तव में शांति को भंग करने के लिए किया जा रहा है मौर ऐसे तत्व जो उनको उपयोग करते हैं, उनके लिये सजा की कहीं व्यवस्था नहीं है। उसके लिए कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। दूसरे, मेरा ग्राग्रह यह है कि 24(बी) के ग्रन्दर व्याख्या की गई है कि जहां डिस्टर्बंड एरियाज हैं, ग्रादि, ग्रादि, वहां पर सब घोषित कर दिया है, वहां किसी पब्लिक प्लेसेज में हथियार नहीं रखे जायेंगे, उन पर बंधन होगा, ग्रादि, ग्रादि। उन पर ज्याहि-हार्ति । लेकिन पश्चित

Public place' means any place intended for use by, or accessible to, the public or any section of the public;

बात: सहा है । मोटे तोर :में धर्म स्वाः ग्रा सकता है। लेकिन आज हमें मालूम है कि धर्मस्थानों का दुरुपयोग है। है खुल्लमखुल्ला । तो सरकार को 💠 😓 कि बह कहे कि सार्वजनिक स्थान का मतलय उन स्थानों से भी है जहां पूजा, पाठ होता है, धर्मस्थान हैं । क्लेरोफिनेशन होना चाहिए । 131311 गायद मंत्री महोद्य यह कह सकते है कि जो पूजा के स्थान हैं पब्लिक जेलेसेज हा होंगे, लेकिन आज का विशेष स्थिति के अन्दर इलका साण्टाकरण होना चाहिए। मैं संशोधन के तौर पर नहीं रख रहा ह, लेकिन मंत्रा महोदर से आग्रह करूंगा कि व्याख्यान देते समय इएको परिभाषा करते समय कहें कि पांडलक प्लेसेज का अर्थ मन्दिर, गुरुद्दारा, मसजिद, गिरजा सब है, इन का दूरपयोग हम नहीं करने देंगे ।

एक बात कह कर मैं समाप्त करुंगा। मेरो समझ में नहीं आया कि आप ने मजिस्ट्रेट की व्याख्या क्यों अदली, । आपने सेवशत 3 के अन्दर कहा है ला

"Magistrate mean_s Executive Magistrate under the Cone of Criminal Procedure, 1973."

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

आप एग्जोक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं ? इसका मतलब है अगर मजिस्ट्रेट हो, एग्जोक्यूटिय मजिस्ट्रेट न हो तो यह हाई कोर्ट के अधीन आता है, एग्जी-क्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलग है हाई कोर्ट के अधीन नहीं है, वह सोधा-सोधा सरकार के अधीन है। तो सरकार या वहां थे अधिकारी या मंत्री जन से जो चाहे करा सकते हैं। इस बात का मैं विरोध करता हूं। जो व्याख्या पहले थो वही रहनी चाहिए और एग्जोक्यूटिव मजिस्ट्रेट का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

इन थोड़े से जिन्दुश्रों के राथ, जैसा मैंने पहले कहा, मैं इस विधेयक को भावना का समर्थन करता हू, लेकिन इस को दो-तोन विषयों में जो मैंने रख हैं स्मगलिंग के सम्बन्ध में, डिस्टब्र्ड एरिया के बारे में, पब्लिक प्लेमेज के बारे में और कठोर किया जाना चाहिए । इतना कह कर मैं अपना बात समाप्त करता हं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Sir, 1 beg to move:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the House would recall that in order to check the increasing use of both unlicensed and licensed firearms in commission of crime and in other antisocial and anti-national activities, an Arms (Amendment) Bill, 1981 was introduced in this House on 24th August, 1981, And the Bill was passed by the Rajya Sabha on 8th September, 1981 and was laid before the Lok Sabha on 10th September, 1981. In the meanwhile a number of suggestions for further amendment of the Bill were received from Members of Parliament and also from other quarters. These suggestions were examined in depth

in consultation with various agencies and revised proposals were finalised for moving necessary amendments to the Bill pending in the Lok Sabha. However, the trend of events in certain parts of the country was such that there was an imminent danger of extensive disturbance of public peace and tranquility and it. therefore, became necessary to carry out the amendment proposals through promulgation of an Ordinance. The Ordinance was promulgated, as you all know, by the President on 22nd June, 1983. The present Bill seeks to replace that Ordinance.

Sir, at this stage, I would like to highlight some of the important aspects of the present Bill. This Bill provides for all the amendments contained in the earlier Arms (Amendment) Bill, 1981 28 passed by Rajya Sabha, subject to some changes aimed at making the punishment for certain offences more stringent and some changes of verbal and consequential nature. Some new provisions have also been added to prohibit possession and carrying of arms in disturbed areas. So, in fact, we have included your suggestion in this particular Bill.

Unlicensed firearms: To deal effectively with the menace of illicit firearms, a provision has been made for significant enhancement in punishment for offences involving illicit firearms, also with a provision for a minimum period of imprisonment. So, we have fixed a minimum period of imprisonment. Illicit manufaoture and sale of firearms without licence is proposed to be made punishable with imprisonment upto seven years and fine, three with a minimum punishment of years imprisonment, compared to the earlier provision of upto three years imprisonment or fine or both. (Interruptions). So, I think the point Mr. Mathur was making is covered.

Similar penalty is proposed for unlawful possession of prohibited arms and ammunition and illicit import and export of prohibited categories Acquisition,

Similar punishments have been proposed against the arms manufacturers and dealers who maintain false accounts or fail to maintain accounts at all.

Sir, I would like to mention some other measures proposed to curb the involvement of licensed firearms in crime. At present there is no ceiling on the possession of firearms. This is the position today. It is proposed to introduce a ceiling of three firearms per person, with certain exceptions like firearms dealers or members of a recognised and licensed rifle club or rifle association etc. It is also proposed to raise the eligibility age for possession of firearms from sixteen to twentyone years.

To ensure proper screening of the applicants, provision has been made making it obligatory for the licensing authority to obtain a police report. At the same time, to avoid unnecessary delay in the issue of licences in genuine and deserving cases a time limit is being prescribed for submission of police report and if the report is not received within the prescribed time limit the licensing authority would be free to decide the matter without police report.

Sir, we have come across instances of large scale use of arms in group clashes and in mass agitations. To deal with such extraordinary situations we have proposed two new provisions. Through the new section 24A, power is being invested in the Government to prohibit the possession of firearms and other notified arms in disturbed areas for a specified period and to order everyone to deposit the firearms and other arms with police stations. By the new section 24B provision has been made to prohibit carrying of specified arms in public places for a specified Contravention of these proviperiod. "ould be punishable with minimum imprisonment of one year, which maÿ extend upto five years and also to fine.

Sir, I have highlighted some of the important provisions of the Amendment Bill. I hope that the hon. Members would support these amendments and the House will kindly consent to it.

Sir, with these few words, I commend the Bill to the House for consideration.

The Questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments for reference of the Bill to the Select Committee. Mr. Shiva Chandra Jha first.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): Sir, I move.

- 1. Shri R. R. Morarka
- 2. Shri Biswa Goswamj
- 3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
- 4. Prof. Sourendra Bhattacharjee
- 5. Shri G. C. Bhattacharya
- 6. Shri Suraj Prasad
- 7. Shri Rameshwar Singh
- 8. Shri Nepaldev Bhattacharjee
- 9. Shri Dipen Ghosh
- 10. Shri Hari Shankar Bhabhra
- 11. Shri Kalraj Mishra
- 12. Shrimati Mohinder Kaur
- 13. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first week of the next Session."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is another amondment by Shri Suraj Prasad. SHRI SURAJ PRASAD (Bihar): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:

- 1. Shri Shiva Chandra Jha
- 2. Dr. Mahabir Prasad
- 3. Dr. Bhai Mahavir
- 4. Shri Rameshwar Singh
- 5. Shri Satya Pal Malik
- 6. Shri Ramanand Yadav
- 7. Shrimati Usha Malhotra
- 8. Shri Suraj Prasad
- 9. Shri Dipen Ghosh

with instructions to report by the first week of the next Session,"

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Resolution, the Bill and the amendments will all be discussed together.

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA (Gujarat): Sir, we have been examining so many Bills which are brought forward by the Government on so many subjects. But I must admit that if any Bill has depressed me so much, it is this Bill. From what heights to what depths our society has sunk! We remember, before freedawa, when Gandhiji started the freedos.aggle, he formulated 14 points, one of which was that all the citizens of this country shall be able to carry firearms without any licence. This was one of the 14 points. I know that when the Constitution was adopted, we had a second look at that and we thought that constituted as we were, at that time, subsequent to the formulation of the 14 points by Gandhijj, we do require some legislation for licensing fire-arms. With that I have no quarrel. But, Sir, in any society, what is the first responsibility of a Government? It is to maintain law and order; then only other things come, like welfare activities and so many other things. I do not want to go into the details of what the Government should do and what the Constitution has, in its Preamble, accepted. But so far as law and order is concerned, why have we come to live in a society, living in jungle? Human beings came to form a society in order to have law and order, to protect their life and property. But to what depth have we sunk in this country!

It is admitted by the Government; the hon. Minister has also said that the trend of recent events in certain parts of the country x_{i}

minent danger of extensive disturbance of public peace and tranquility. So, even the law and order, for which I have joined the society, is disturbed.

Let us leave it apart. But is this Legislation going to be effective? Who respects the law? Sir, after all, who will abide by this legislation? Law is for people who have got regard for it and feel that this is the legislation of the country and as good conscientious citizens, we must abide by the provisions of law. Then there is the deterrent aspect. We know, every legislation has so many aspects, including the deterrent aspect that a legislation must have a deterrent aspect and those who are afraid of law will know that if they do not abide by certain provisions of law, they will be punished. But is this legislation going to help people who respect law? These people do not need a legislation. But those who are not afraid of law nowadays, what is this legislation going to do? So, don't be under any complacency. This legislation is not going to help you in giving peace and tranquility which is badly needed by the Indian society today. Do you think that persons who are carrying unlicensed arms, will be deterred by this legislation, by the stringent punishment you have provided for it? . Not at all. It will only deter law-abiding citizens and they will not be able to protect themselves under this legislation. And these goondas, the anti-social elements in the society will care two hoots for this legislation, and they will all the same, in spite of the legislation-no doubt, the stringent punishment-will go on carrying these unlicensed arms....

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): And pipe-guns.

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA: So, all these things will happen. Don't be under any complacency. Sir, I have been discussing it with so many friends here and outside also. Time has come in this country to have a fundamental view, fundamental look at the whole situation. When we gained freedom, we invited all the parties to find out what sort of Constitution will suit us. Even those who were against the Congress, those who were against the Independence movement they were invited by the Congress, Ambedkar was invited, Khusro was invited. So many other persons were invited. Why? Because, we were giving a Constitution to the people of India. It was not the Constitution of party. Not that only one party was concerned with it. All the people of India were concerned with it. We invited all the people in regard to framing the Constitution.

In the same way, take note that time is ripe now when we should look at the problem in a fundamental manner, which are the things which will suit the genius of ou_{Γ} people. What have we done since freedom to bring forward such a legislation that we cannot give even law and order to the honest and the upright citizens of this country?

Sir, there are so many provisions in this Bill which are to my mind not very fair and healthy. For example, they have said here that no person shall carry more than three firearms. You have said here 'person' and not 'family'. Let us say, in a family there are five persons. Do you mean to say that they can carry fifteen firearms? Let us say, a family has got five adult persons. If you say that every persons is entitled to carry three firearms, it means, the family will have in its possession fifteen licensed firearms. Is it fair? Is it proper? After all, arms are required to protect the property of the family and the persons in the family. If every person is entitled to carry three filearms, what amount of liberty you will be giving to the particular family? Therefore. I would suggest that instead of this word 'person', you should have an amendment and it should relate to a family.

Then, there are some antique firearms. which are there, not necessarily used for violence. But they are kept because they have their own past. For example, there may be some valuable antique arms kept in a museum. I think, they should not be asked to deposit them. But only a note should be carried by the authorities that a particular family or a particular person has an antique firearm which is required to be kept there. We know what is happening in our museums. So many things are being stolen. Therefore. I would suggest that we should make an exception in this regard.

Sir, we have seen the history of this legislation. It was brought forward in this House. It was passed by this House. Then, it went to the other House. In the meantime, some suggestions were made and the Government thought it fit to promulgate an ordinance. For preserving law and order in this country, which is the fundamental duty of the Government, an ordinance has to be brought forward. This is a very pitiable position. I think, all conscientious person who are participublic life of pating in the this country should take leisson а from this legislation. To what depths we have deteriorated as a society that we cannot give even protection to the persons and the properties of the citizens of this country? Leave apart all your welfare activities. They can wait. But the fundamental duty of any Government is to provide security and to maintain law and order in the society. By enacting this legislation, do not be under any complacency that you will be able to protect innocent persons and their properties. These goondas will care a tuppence for this legislation. They will go on carrying these firarms, whether licensed or unlicensed. They will smuggle. They will do all sorts of things. Come into the interior. Come into the vilages See what is happening there. Persons who are associated with public life; in politics; their relatives; what are they doing? Why go to the interior? See what is happening in Delhi. We know that persons who are associated with or related to people, higher-ups, in the ruling party, take law into their own hands and do anything whatever they like. Even persons whose names

(Amdt.) Bill. 1983

196

à

[Shri Ghanshambhai Oza]

appear in the newspapers that they have smuggled things, go scot free. They masquerade as leaders of the society. Their sons, though they are associated with so many kinous crimes, live in the society as respectable persons, as honourable persons. What values we are shaping in this country I do not know. After all, Gandhiji said, not sermons but an ounce of practice would do, but what is happening today? We politicians, particularly the politicians in the ruling party-I do not say only the ruling party politicians, but all politicians -have eroded the values of public life. They have brought about this situation. Gandhiji put on langoti and, therefore, thousands of people renounced their career, left their study and joined him. They never cared for power and self.

And what is happening today? What precepts are you giving? What are you doing in practice? It is only because of that the people in the countryside say that they should also lead a comfortable life, ostentatious life in a way. They copy the life-style that is practised here. There is so much of unemployment and still there is so much temptation. Temptation is human in any society. There are temptations, but no society should provide them with opportunities to fulfill the temptations against the provisions of the law. That is exactly what we are doing in this country, that is why there is such a legislation. In fact, we should look down that we have to bring forward such a legislation in this nation. We have to look down, we must be ashamed of bringing forward such a legislation. It may be necessary in your view to have the stringent legislation to run the Government, but any member of any good society would look down that such is the state of affairs in a society where this is happening. This is what I wanted to suggest.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister in the statement of Objects and Reasons, in his statement and also in the Bill has referred to the fact that the Ordinance became necessary because of the imminent danger of extensive disturbance to peace and tranquility in certain areas. Sir, I do not think anyone in this House will object to giving powers to the Government to meet such an imminent danger of extensive disturbance to peace and tranquility. but when I go through the Bill I find that there is no relationship whatsoever between the objects and the provisions of this Bill. The provisions of this Bill are not in any way going to help the Government in achieving the objects for which the Bill is sought to be introduced or is being discussed here. My learned friend, who preceded me spoke about the unlicensed arms and the hon. Minister will probably agree that in many parts of this country the wave of violence that we see either in communal riots or in group clashes is not due to the use of the licensed arms, it is primarily the unlicensed arms that are displayed there. And in this Bill I do not find anything whatsoever as to how the Government proposes to tackle the problem of unlicensed arms. It would have been better if the Government hađ brought forward a comprehensive Bill in which some attention was paid to the of unlicensed arms. I know problem that this problem cannot be tackled in its totality, but there is no mention whatsoever of the unlicensed arms. Tn fact, the Bill to its logical conclusion may mean that the person who is holding unlicensed arms, in times of communal tension or otherwise, may be asked to deposit the same with the authorities. It may be that a person, who is a law-abiding person, may be at the mercy of an unlawful person who is carrying unlicensed arms but not depositing the same with the authorities The law-abiding person will concerned. deposit the unlicensed arms with the authorities, but the other person, who is having no licence for his arms, may not deposit the same with the authorities and thus person will be at the the law-abiding mercy of the other person.

Now let us have a look at the other side of this Bill. What is sought to be done in this Bill is that a person will not be able to possess more than 3 firearms or ammunition. I do not understand, if somebody wants to utilise firearms for the purpose of communal frenzy, would he require four fire-arms? In fact, even one firearm is enough. I do not know how many in this country can use two firearms, one with the right hand and the other with the left hand, what we see in the films. If a person has three firearms, he can use them in a communal frenzy. How can you restrict him from using the three firearms? How are you sure that he will not be able to use these firearms in case of a communal frenzy or a group clash? So I do not understand the logic of three. In fact, if he has a firearm and if he wants to use it, he will be able to use it.

Then look to the other flaw. This provision will come into operation after we pass this Bill. This Bill was introduced, I do not know when. Now how do you protect the transfers of firearms which are already made? As has been rightly pointed out, a person will be able to have three firearms. Even if you feel that possession of three firearms is a sufficient guarantee against it, by this time all will be gifted away or sold. There is no protection against that.

The third provision which struck me as odd, which I hope the hon. Minister will look into, is in clause 5. I have not been able to understand it. Under clause 5, it is said:

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person may, without holding a licence in this behalf, sell or transfer any arms or ammunition..."

This indicates that without a licence, a person can hold arms or ammunition. But under section 3—if I have read it correctly—no ammunition can be held by any person without a licence. Section 5 contemplates a case where a person can hold ammunition or arms without a licence. Section 3 says that you cannot hold ammunition or arms without a licence. I would like to get some clarification from the hon. Minister as to why there is this contradiction, or have I slipped some where in pointing out this contradiction?

The other point which I would like the hon. Minister to realise is, under clause 3, supposing I want to sell a firearm, I am entitled to sell it because under clause 3, 30 days is the time limit given. May I read clause 3:

"Provided that a person who has in his possession more firearms than three at the commencement of the Arms Act, may retain with him any three of such firearms and shall deposit, within thirty days from such commencement, the remaining firearms with the officer incharge of the nearest police station..."

So if today I have got more than 3 firearms, I have got to deposit those extra firearms with the nearest Police station within 30 days, Supposing this Act comes into operation on the 1st of September. Then within 30 days-that means in September itself-I have to deposit them, but clause 4 says that I can sell it. If you look to clause 4, I can sell it but I am to inform in writing to the District Magistrate having jurisdiction or the officer incharge of the nearest police station about my intention to sell or transfer and such sale shall not be effective unless a period of not less than forty-five days has expired after the giving of such information. I find myself in quandary. Supposing this Act comes into operation on the 1st of September. Under clause 3, I am to deposit. Let us take an instant case. Supposing I have got five firearms. I shall have to deposit two firearms within 30th of September-i.e. within a period of 30 days Now I am intending to sell it, to Mr. Jagannathrao Joshi. I inform the nearest Police station about my intention to sell the firearms. Then till 45 days have expired, I cannot sell them because the officerincharge may sit over my request for 45 days. What happens on the 31st day? If I keep these firearms on the 31st day, I after that, what violate clause 3. And in the next 15 days? After I happens deposit it with you, within those 15 days I am to dispose of those firearms, Without that permission, how am I going to sell them?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: This provision is clear. I will clarify that.

> المراجعة ال المراجعة الم

SHRI DINESH GOSWAMI: It appears to me that within 30 days, I am to deposit. The permission may come after 45 days. So there is an unexplained period of 15 days. So why don't you make both these periods as 30 days. That will solve a lot of complications.

As has been rightly pointed out, what about antique weapons? They are not being used for purpose of any communal disturbance. But these are very valuable articles in the possession of certain persons. We know there are persons who are prepared to pay very very high prices for these antique weapons outside.

And if these things are deposited in the police station, I feel that there may be a lot of corruption. Why don't you protect the antique weapons? Secondly, what about the museums? Because ľ know there are a number of museums in the country where very old valuable weapons are being shown to the public. Do you want that all these valuable weapons should be given to the police stations? Probably they will then go in different directions. Why not protect a museum provided with sufficient safeguards that at no point of time or at no cost will these weapons will be used. This can be easily done. I do not find anything in this Act to protect the antique weapons or the museums.

I have also objection, Mr. Deputy Chairman, Sir, to clause 5. Under the existing Arms Act, no person can possess a firearms if he is not of 16 years of age. That has been increased to 21 years. I have not got much objection to that. But the second provision is that a person cannot have a firearm if he has been sentenced on conviction of anv offence involving violence or moral turpitude. Earlier it was for an imprisonment for a period of not less than six months. Now it has been made "any time"; that means, a person who once in his life-time out of impetuity may have committed an offence of moral turpitude or violence cannot possess a firearm. And violence is a very wide term. A person may be sentenced for imprisonment till the rising of the court. Such a person during his life-time

cannot possess a firearm. If it is more than 6 months. I can understand, because he has committed a very serious and heinous crime.

Sometimes a man commits such an offence even under provocation. Under provocation you commit a crime, under motive impulse you commit a crime, and you have been sentenced only for imprisonment till the rising of the court. That means, you cannot be permitted to possess a firearm. I do not see the logic of it. I can understand that you do not allow a person to possess a firearm if he has committed some serious offence but not an offence of a minor nature. Violence under legal terminology is a very very wide term. Two persons come into fisticuffs because of certain reasons and one is sentenced for imprisonment till the rising of the court, even though later he may be a very honourable person. Under section 9 he will never be entitled to possess a firearm. I feel that it is too harsh and it is not going in any way to help achieve the objectives for which the Act has been brought.

My last objection is that we passed this Bill as early as on the 8th September 1981. and certain suggestions came up. But the Government sat on those suggestion from 1981 onwards. It is 1983. Why is the Government not bringing a comprehensive Bill if the Government feels that possession of firearms has because a menace to the law and order situation of this country? A comprehensive Bill which can deal very severely with unlicensed arms can be brought. In fact I would like, and I have got a suggestion, that there should be a public disclosure of all persons who possess Why firearms. can't you make а public disclosure of all persons who possess firearms so that the Government and the people know that these are the persons who possess firearms. That will have a deterrent effect. And in such a case, supposing a list is given that these are the people who have got the licensed arms, and supposing I know that a person has got a rifle and his name is not there on the list, I can inform the nearest police station: Look here, here is firearm which

4

is being possessed by such and such person and his name I do not see on the list. Undoubtedly, he has possessed it in an unlicensed way. And the Government may take action. What is the legal obstacle for bringing an amendment to this effect? Therefore, I will submit that while I have no quarrel whatsoever with the Statement of Objects and Reasons, the Bill as has been brought will not help achieve the Objects and Reasons, and I think it will be better for the Government to withdraw the Bill and bring a more comprehensive legislation covering all aspects of law.

Thank you.

डा॰ रुद्र प्रतार खिंह (उत्तर प्रदेश): आदरणोय उपसभापति महोदय, आपका मैं हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे आयुद्ध (संशोधन) विधेयक, 1983 अपने थिचार प्रकट करने का अवसर दिया है । मैं उसका स्वागत करने को खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपसभापति : ग्राप बाद में बोलियेगा। सदन की कार्यवाही दोबजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock, the Vice-Chairman (Shri Dinesh Goswami) i_n the Chair.

डा॰ रद्र प्रताप सिंह : मान्यवर, माननीय सदन के समस्त ग्रादरणीय सदस्य इस तथ्य पर एकमत होंगे कि राष्ट्र में ग्रपराधों की संख्या तथा स्वरूपों में ग्रसाधारण रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृति, माननीय सदन तथा राष्ट्र के हेतू गम्भोर चिंता तथा चिंतन का विषय है । राष्ट्र विरोधी ग्तिविधियां भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में पल्लवित और पुष्पित हो रहीं हैं जो राष्ट्र को एकता, सुरक्षा और प्रखण्डता के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं । असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में भी तीव्रता के साथ वृद्धि हो रही है जिससे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को भारी भय उत्पन्न हो रहा है ।

अनुसंघान के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार कि गतिविधियों में लाइसेंस रहित तथा लाइसेंस सहित आ^गनेय अस्त्रों का उपयोग बढ़ा है । यह संतोष का थिषय है कि सरकार का विशेष ध्यान इस अत्यंत गम्भीर समस्या की ओर गया है ।

श्रीमन्, समस्या के विभिन्न पक्षों पर पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरों के निदेशक की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने विचार किया तथा उसके निष्कर्षों के ग्राधार पर आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन करने के प्रस्ताव तैयार किये गये थे और एक आयुध संशोधन विधेयक, 1981 इस सदन में 24 अगस्त, 1981 को पुर:-स्थापित किया गया था और इस सदन ने 24 अगस्त, 1981 को यह विधेयक पारित कर दिया था तथा 10 सितम्बर, 1981 को लोक सभा के समक्ष रखा गया था ।

इस बोच मंसद सदस्यों तथा अन्य क्षेत्रों से विधेयक नं और संशोधन के लिए अनेक सुझाव सरकार को प्राप्त हुए। मुझको प्रसन्नता है कि शासन ने इन सुझावों पर विभिन्न अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श करके विचाराधीन विधेयक-में आवश्यक संशोधन करने के लिए पुनरीक्षित प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया । राष्ट्र के कुछ भागों में होने वाली घटनाओं से शान्ति व्यवस्था को भय उत्यन्न हो गया है।

and the hard start of part of a

[डा॰ रद प्रताप सिंह]

माननीय सदन सहमत होगा कि ग्राध्यादेश का लाया जाना प्रावश्यक ही नहीं, ग्रापितु ग्रानिवार्य भी था । वर्तमान विधेयक उस ग्राध्यादेश का स्थान लेगा ।

श्रोमन्, ग्रायुध ग्रधिनियम, 1,959 जो लगभग 24 वर्ष पूर्व बनाया गया था, 1959 में जिस बच्चे ने जन्म लिया था, वह ग्रव फिता बन चुका है। वर्तमान स्थिति तथा परिस्थितियों में वह ग्रर्थ्याप्त है। ग्रतएव उसमं परिवर्तन, संशोधन एवं परिवर्तन किया जाना सर्वथा उचित, न्यायसंगत हो नहीं ग्रपितु ग्रनिवार्य है। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है-जिसे मैं उधृत करता हू -

''ग्रग्नयायुधों के लिए अनुज्ञप्तियां दी जाने तथा ग्रायुध के विकय ग्रौर ग्रंतरण की बाबत ग्रधिक सर्तकता के लिए उपबन्ध हो जाए ।

दूसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ग्रग्नयायुध समाज विरोधी तत्वों के कब्जे में न जाएं ।

इस विधेयक के द्वारा अपराधों के लिये दण्ड की भो वृद्धि तथा अधिनियम के अधीन गंभोर अपराधों के लिएन्यूनतम उण्ड का उपवन्ध किया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि वह दुढ़ और निवारक कार्य कर सके"।

मैं उढ़रण समाप्त करता हूं ग्रौर साथ हो उददेश्य ग्रौर कारणों के कथन को भावना को सराहना करताहूं।

श्रोमन, जहां तक राष्ट्र विरोधो तथा असामाजिक शक्तियों के ढारा अपनेय अस्तों के प्रयोग में नियन्त्रण पाते का प्रश्न है, जहां तक विक्षुन्ध क्षेत्रों में अपनेय अस्तों रूपयोग को समस्या है, जहां तक

क्रग्नेग ग्रस्तों को समाज विरोधी अक्तियों के हाथ में न जा पाने ग्रथवा उन्से छोन लेने का प्रावधान है, सभी मान-नीय सदस्य विधेयक की इस भावना तथा व्यवस्था से सहमत होंगे। परन्तु आपके माध्यम से ग्रत्यन्त विनम्रतापर्वक, मान-नोय मन्त्री जी से मैं यह कहना चाहता हं कि राष्ट्र में अप्रयों की संख्या में जो . निरन्तर वृद्धि हो रही है, उसमें उन अप-राधों को संख्या अधिक है जिनमें अग्नेय ग्रस्त्रों का उपयोग नही होता है, अथवा ग्रग्नेय ग्रस्तों के द्वारा होने वाले ग्र9राधों की संख्या अग्नेय अस्त्रों से रहित अपराधों को संख्या की तुलना में कम होते हैं। इतना ही नही अपनेय अस्तों के दारा जो अपराध होते हैं उनमें भी लाइसेंस सहित ग्रग्नेय ग्रस्तों के द्वारां कम तथा लाइस स रहित ग्रस्तों के इग्रा अत्याधिक होते हैं। राष्ट्रविरोधी तथा ग्रसामाजिक तत्वों के पास लाइसेंस रहित अग्नेय अस्तों की संख्या लाइसेंस सहित ग्रस्तों की संख्या से कहों अधिक प्रतीत होती है। सरकार का यह प्रथम तथा पुनीत कर्तव्य है कि ग्रारम्भ में उन लाइसेंस रहित ग्रस्तों को पकडे तथा दोयी व्यक्तियों एवम् शक्तियों को दंडित करे। लाइसेंस रहित ग्रस्तों से लाईसेंस सहित ग्रस्तों से ग्र9राधों की संख्या अत्यत्त नगण्य है।

श्रीमन्, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि यदि किसी लाइसेंसधारी व्यक्ति के एक भी ग्रस्त का दुष्प्रधोग हो तो उसके समस्त ग्रस्त जब्त कर लिए जाएं। कोई भी लाइसेंसधारी व्यक्ति ग्रप्ने ग्रस्त का हस्तांतरण उसी व्यक्ति ग्रप्ने ग्रस्त का हस्तांतरण उसी व्यक्ति को करता है जिसके पास उस ग्रस्त का लाइसेंस होता है । ग्रतएव यह सावधानी उन्हें करनी चाहिए जो लाइसेंस प्रधान करते हैं। _4

मैं इस बात पर भी ग्रपनी सहमति प्रदान करना चाहता हू कि भविष्य में किसो भी व्यक्ति को तीन ग्रस्तों से ग्रधिक क लाइसेंस प्रदान न किये

अोमन, प्रमुख रूप से तोन आग्नेय अस्त्रों से ग्राधिक ग्रस्त राष्ट्र के भूतपुर्व कलर, हिज हाइनेंस, महाराजा, राजा, जनींदार, ताल्लुकेदार वड़े भूस्वामियों के धास में हैं। जिनमें से अधिकांश पुरातत्व म्हण के हैं तथा विदेशों हैं और अधिकांश ऐसे हैं जिनके कारत्स भी नहीं मिलते हैं। अब वे अस्त केवत उनके तैभवपूर्ण अतीत की गथा मात्र रह गये हैं। जिस प्रकार से बन्दर को मां अपने मरे हुए बच्चे को अभेते सोने से लगायें रहती है उसी प्रकार से ये भूतपुर्व ताल्लुकोदार अपनी उन बन्दकों को सोने से लगाये दुये हैं। उनका कोई उपयोग नहीं है। उनसे केवल उनके ग्रहंगर को तुब्टि होतो हैं। वे उनको हर महन पर आते पास सरक्षित रखना चाहते हैं। वे ग्रस्त जव उन से ग्रजगकिये जायोंगे तो माननोय मंत्री जो मुझे इस बात का भरोसा है कि वे पुरातत्व मूल्य के ग्रस्त चोरो से विदेशों में चले आयेंगे। मैं माननोय मंत्रो जो से इस बात का **ग्रतुरोबे करूंगा कि यदि वे तोन अस्तों** को सोमा निर्धारित करना च@ते हो तो सरकार स्वयं उनका भूल्य दे कर उन अस्त्रों को राष्ट्रीय अथवा राज्य संग्रहा-लयों में जना करवादों, ग्रस्त पर दाताका नाम स्रंकित करवा दे जिससे कि जो लोग राष्ट्रोय संग्रहालयों में अथवा राज्य संग्र-हालयों में जायं वे इस वात को देख सकें कि उन अस्त्रों को किन व्यक्तियों ने, किन महात्भावों ने राष्ट्र हित में दान दिया है। स्वामियों को अपनी सम्पत्ति का उचित म्ल्य मिल जायेगा क्योंकि वे अस्त्र केवल अस्त नहीं हैं, मान्यवर, वे उनकी सम्पत्ति भी हैं, वहसल्य संम्पत्ति भी हैं। तो उन्हें अपनी सम्पत्ति का भी मुल्य मिल जाये और लाइसेंसधारी के अस्त्रों ५र सोमा भी हो जाय ग्रौर वे बहमल्य अस्त राष्ट्र की संस्हाति की कड़ी के रूप में सुरक्षित हो जायं । वैसं जिनके पास तोन ग्राग्नेय ग्रस्त वर्तमान समय में हैं, जिनका उनके पास लाइसेंस भी हैं, उन्हें भी तीन की सीमा में लाये जाने का विशेष लाभ समझ में नहीं आता है क्योंकि वे ग्रधिकांश ग्रस्त्र ऐसे हैं जो प्रातत्व मल्य के हैं सीर, जैसा मैंने निवेदन किया, उनमें से अधिकांश के तो कारतस भी नहीं मिलते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रधिकतम भूमि सीमा ग्रारोपण विधेयक के द्वारा जो राष्ट्र को लाभ हुग्रा था, भुस्वामियों की ग्रतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरित की गयी उस प्रकार का कोई लाभ इस विधेयक के द्वारा नहीं मिलने जा रहा है कि जो अस्त्र निकाले जायं वह जनसाधारण में वितरित नहीं किये जा सकते हों। श्रीमन, मुझे इस वात की चिन्ता है कि राष्ट्र के बहुमुल्य ग्रस्त जो ग्रभी तक एक वर्ग के पास हर मुल्य पर सुरक्षित थे वह निकाले जाने की प्रक्रिया में उचित व्यक्तियों के हाथ से ग्रनुचित व्यक्तियों के हाथ में जाने की ग्राज्ञंका है। पूंजीपतियों तथा सम्बन्धित लाइसेंस प्रदान करने वाले ग्रधिकारियों को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। जिस वर्ग को अपने पुरातत्व अग्नेयास्त्रों से वंचित होना पड़ेगा मैं इस माननीय सदन के माध्यम से उन से अनुरोध करूंगा कि जैसे ग्राप ने सत्ता, भूमि, सम्पत्ति एव विशेषाधिकार खोना सहष स्वीकार किया था, जिस प्रकार से दधीचि ने सुर-ग्रसुर संग्राम में मानवता की रक्षा के हेत <mark>अपनी अस्थि का दान किया था,</mark> आष

(Amdt.) Bill, 1983

208

[डा० रुद्र प्रताप सिंह]

लोग भी उसी परम्परा का ग्रनसरण करते हुये अपने अस्त्रों का त्याग करें। जिन्हें जीवन का मोह नहीं रहा है उन्हें अस्त्रों का मोह कैसा ! राष्ट के हित में तन-मन-धन सब कुछ अपिंत करना अपनी विवगता नहीं धर्म समझें। श्रीमन अधिकतम भूमि-सीमा आरोपण प्रधि-नियम के अन्तर्गत मेरी भूमि को अति-रिक्त भूमि घोषित किया गया था तब परगना ग्रधिकारी ने निखम के ग्रन्तर्गत मेरे हितों की रक्षा नहीं की थी. फिर भी मैंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उस निर्णय का स्वामत किया ग्रौर उसके विरुद्ध कोई ग्रपील नहीं को थी। लोक-प्रिय नेता परम श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा यह जो काांतिकारी विधेयक हमारे ग्रादरणीय मंत्री जी लेकर यहां प्रस्तुत हुये हैं मैं प्रधान मंत्री जी के दल के एक सैनिक के रूप में आज इस बात की घोषणा करता हं। कि मेरे पास जो 6 ग्राग्नेयास्त्र हैं उन में से तीन आग्नेयास्त्र मैं उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री जी को भेंट कर दूंगा इस अनुरोध के साथ कि वे उनको राज्य संग्रहालय में जमा करा दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I hope he Home Minister has not brought this Bill in order to meet people like you.

डा॰ रुद्र प्रताप सिंह : अन्त में मैं एक हिन्दी की रुवाई पढ़कर अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

''लहर लहर की बांसुरी पर गुनगुनाऊंगा, कली कली के साथ साथ मुस्कराऊंगा, गिराये बिजलियां यह ग्रासमां सौ बार, , बादलों के बीच ही मैं ग्राशियां बनाऊंगा।''

मेरा विक्वाश है कि प्रधान मंती श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र की कानून श्रौर व्यवस्था की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। ग्रौर इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ग्रपने सुझाव पर विचार करने का ग्रनुरोध करते हुये इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता ं।

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, at the outset I would like to make it clear that I am not for opposing this Bill. But I have my own doubts and reservations on this measure. I doubt whether this Bill will serve the purpose of reducing the criminal activities in this country. More than that, I consder this Bill as a cover to conceal the inability, the incompetence and thorough failure of the Government to contain the antisocial, anti-working class and peace disturbing forces of this country.

In the Statement of Objects and Reasons of this Bill, the Minister says:

"However, the trend of recent events in certain parts of the country was such that there was an imminent *c* rger of extensive disturbance of publispeace and tranquility in certain areas and it, therefore, became urgently necessary to make the provisions of the Arms Act more stringent and effective so as to prevent the misuse of arms and the commission of offences involving the use of arms."

I have no hesitation to say that this objective of this Bill cannot be achieved by passing this legislation. One of the main amendments included in this Bill is for restricting the possession of firearms. For this purpose, a new clause, namely, subclause (2) of clause 3, has been introduced. This sub-clause envisages that no person, other than a person referred to in sub-section (3), shall acquire, have in his possession or carry, at any time, more than three firearms. In this context I would like to know whether this limit of three firearms is for family or for each adult member of that family. If the limit applies to an individual member of a family, then what will be the position of a family which has no faith in family planning methods? Such a family would be able to build up an arsenal which may be

somewhat bigger than the one in a local police station and all these firearms will be in use legally. That will be the result. Therefore, I would like to know whether the restriction is in regard to one member of a family or to one whole family.

In the case of arms also, there are chances of possession of firearms in benami names as in the case of land. Therefore, the maximum firearms which shall be in the possession of an undivided family should be specified.

Licences for firearms are generaly issued on the grounds of self-protection and protection of crops from wild animals. But these legally possessed firearms are used for illegal purposes in the general order of the day. In many parts of this country, especially in the countryside, the big landlords have their own armed musclemen and some of them have their own private army. These musclemen and these private armies of the landlords were frequently used against the poor Harijans, agricultural labourers. adivasis. sharecroppers. tenants, etc. They have no protection from the police or the administrative authorities only because they are poor and the others are from the upper sections of the society and are influential persons of the society.

Here, Sir, a political will on the part of the Government is highly necessary. Mere legislation will not do anything. If there is an earnest desire on the part of the Government, certainly, at least of a section of the subordinates will act according to that. Now, the police and the administrative authorities are quite sure that the Government is protecting the interests of the upper classes of the society and that is why they are fearless to protect the culprits so blatantly. This attitude of the Government must change first. The state of affairs that I have described just now is not prevailing in the agricultural sector alone. In the industrial sector also, the situation is the same and with the goonda this sector is familiar management. organised by the gangs in the form of Sometimes they appear trade unions or something like that. The

100 B 100 -

trade union gangsterism is widespread in many indsutries, especially in the coal mines.

These goonda gangs are usually in possession of illegal arms. I am really concerned about the growing menace of the illegal manufacture and sale of arms. It has created a serious law and order problem in many parts of this country, particularly in the States of UP, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan. Sir, in Bihar, it was reported in the Press that in the Nalanda district, illegal manufacture and sale of arms is a cottage industry. The socalled underground factories are really not underground, but they are open ٦đ overground. So, there is no need for earthing them. These factories are running with complete connivance and support of the police and the authorities concerned with sufficient political support.

In a country, where dacoits have been used to capture polling booths and for threatening the voters to win the elections, how can you prevent illegal manufacture and sale of firearms? Of course, I do agree that legislation to plug the loopholes in the laws is a must. But, at the same time, the more important thing that is required is the political will on the part of the Government to implement these laws. In many cases, Sir, it is unfortunate to note, that there is this lack of political will. As I have mentioned in the beginning of my speech, I am not against this Bill; but I am not for supporting this Bill also. I am still doubtful whether this Bill will serve any purpose in the background of our past experience. The growing tendency in the society to indulge in criminal activities is not merely because of inadequacy of laws. This is a social problem connected with so many factors. To solve this problem, an earnest approach on the part of the Government and a change in the attitude of the Government are a must. Otherwise, this exercise of merely passing laws with good intentions will become only a futile effort.

With these words, Sir, I conclude.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश): ं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की इस भावना से तो सहमत हं कि इनमें, श्रायुद्ध विधेयक में संशोधन होना चाहिये और जिस मंशा से यह ्लाया गया है, अपराध को रोकने के लिये, उसका भी मैं समर्थन करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी के देखने में समस्या दूसरी तरह की है ग्रौर मेरे देखने में समस्या दूसरी तरह की है। मैं मंत्री जी से चाहंगा कि उनकी पार्टी ग्रौर वे, गरीबों के लिये, पिछड़े वर्गों के लिये, हरिजनों के लिये, ग्रादिवासियों के लिये छाती में दर्द लिये घूमा करते हैं तो उस दर्द को जरा सही जगह से देखें। इस ग्राम्स एकट का दूरुपयोग करने वाले, उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को सजा मिले इससे कौन इन्कार करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच यह हो भी रहाहै या श्राप कर भो पायेंगे ? मान्यवर, में ग्रन्भव के ग्राधार पर यह कहता हं कि हमारी भी सरकार रही है ग्रौर ग्रापकी सरकार तो ग्रखंड चली ग्रा रही है लेकिन गुन्डों के हथियारों को न ग्राप की सरकार रोक सकी है, न हमारी सरकार रोक सकी है ग्रौर न ग्राप ग्रागे रोक सकेंगे । नहीं रोक सकेंगे । चाहे उसका भ्रष्टाचार कारण हो, चाहे जातिवाद हो या गुडों ग्रौर डकैतों का डर हो या जो कुछ भी हो लेकिन कभी भी लाइसेंस जिस भले ग्रादमी को ग्राप देना चाहते हैं शायद 100 में से दो को मिल सकेगा। बाकी के लाइसेंस्ड हथियार 98 प्रतिशत हथियार गुंडों या गुंडों के संरक्षक के हाथों में जाते हैं। ग्रार्म्स के नाम पर आप गरीब आदमी का चालान कर सकते हैं, हरिजन, ग्रादिवासी, पिछड़ा वर्ग को इन लोगों से खतरा नहीं है। इन लोगों के लिये भी कोई खतरा इस देश में नहीं है जो खुद हो लोकदल में, जिसका ेबाप हो कांग्रेस (ग्राई०) में, स(ला हो

भाजपा में, बहनोई हो कम्युनिस्ट पार्टी में और रिश्तेदार हों दूसरी किमी पार्टी में। चाहे जिस गद्दी पर रहे उस का कोई फर्क नहीं पड़ता । क्योंकि जो भी ग्राता है वह उसी में से ग्राता है। जो एक ही ढरें से राज चल रहा है उसी में से आता है। जिनकी जाति का, नाते-पोते में से कोई क्लेक्टर नहीं है, एस० पी० नहीं है, कोई थानेदार नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है जिनका कोई सत्तारूढ़ दल का नेता नहीं है उनको हथियार नहीं मिलेंगे चाहे उनको रोज मार डाला जाए। जब हम बचपन में थे तो चोरो की बात सूना करते थे, डकैती की बात नहीं सूनते थे। तब डकैती नहीं होती थी। जो हथियार चोरों के पास रहते थे वही हथियार गांव वालों के पास रहते थे---लाठी, भाला, बरछा ग्रादि । ग्राज दकैतों के पास मशीनगन, दूसरी गनें, बम, राइफल्स ग्राधुनिक हथियार होते हैं । वे इन हथियारों को लेकर म्राते है। गांव में गरीब ग्रादमी के पास बिच्छू, सांप मारने के लिये भाला तक नहीं होता। तरकारी काटने के लिये चार इंच से बढ़ा चाकू भी नहीं रख सकता। लेकिन जाति का थानेदार है, सत्तारूढ़ का है या सरदार जाति का है तो वह सब हथियार खुले ग्राम लेकर चलता है। हमारे यहां ऐसे नेता है जो दो सौ, दो सौ अवैध हथियारों को लेकर चलते हैं । कोई उनको रोकने वाला नहीं है। उलटे उनकी रक्षा के लिये एस॰ पी० जाता है, डी० एस०पी० जाता है ग्रौर पुलिस के लोग उनके साथ रहते हैं। एक तरफ सारे हथियार एक वर्ग के लोगों के पास जमा है और दूसरा वर्ग छोटी से छोटी लाठी, भाला भी नहीं रखता है। तो नया गांव के लोग चोर, डकैतों का 📲 मुकाबला चाकु से, ब्लेड से करेंगे ? वे कैंसे चोर, डकैंतों का मुकाबला करेंगे ? जब तक यह ग्रसंतुलन बना रहेगा तब तक हरिजन बस्ती फूंकी जाती रहेगी।

तब तक डकैतियां बढ़ती रहेंगी, तब तक

214

कमजोर वर्न एक रुद्राक्ष की माला लेकर ा जपता रहेगा। लेकिन ग्राप कमजोर वर्गों की रक्षा नहीं कर सकते। आप रक्षा तब 🗹 कर सकते हैं जब या तो उनको भी हथियार देने लगें या इन गरीबों को भी हथियार दे दें । चुंकि पुराना अनुभव है कि किसी के हथियार छीन नहीं सकते हैं तो ग्राप फिर सब को हथियार दे दीजिये। हरिजन बस्तियों में रहने वाले राइफल या बन्दूक नहीं रख सकते हैं क्योंकि ग्रापने उन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ग्रौर वे इस प्रकार से ग्रपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं । सौ-पचास रुपयों में उनको एक कट्टा मिल जाता है तो उसी से ग्रपना काम चलाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि लौहार गांवों में जो हथियार बनाता है उनको स्राप फी कर दें। जो हथियार ग्रायुध कारखानों में बनते हैं, पुलिस ग्रौर सेना के प्रयोग के लिए बनते हैं, उन पर ग्राप प्रतिबन्ध लगा दें। लेकिन गांवों में जो हथियार बनते हैं उनको फी कर दीजिये। ग्राजकल क्या होता है? गांवों में जब डकैत ग्राते हैं तो पहले यह पता कर लेते हैं कि किस के पास बन्दूक है ग्रौर किस के पास ग्रन्य कोई हथियार है। जिस व्यक्ति के पास बन्दुक या भ्रन्य कोई हथियार होता है उसको पहले वे अपनी तरफ कर लेते हैं, बेकिन अगर वह उनकी तरफ नहीं होता है तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद सारे गांव को लूटते हैं। ऐसी स्थिति में गांव में कोई भी उनका प्रतिरोध क'रने वाला नहीं होता है। अगर उनको यह पता ही नहीं होगा कि किस गांव में कितने हथियार हैं तो डकैती डालने से पहले वे सोचेंगे कि दूसरी तरफ के लोगों के पास भी हथियार हो सकते हैं। पहले जमाने में श्रापने देखा होगा कि गांवों में जब डकैतियां होती थी तो पहले जमकर लड़ाई होती थीं ग्रौर ग्रगर डकते मारे जाते थे तो वे भाग जाते थे, लेकिन अगर गांव वाले मारे जाते थे तो डाक् लूट-पाट करते थे । जब डाकू को यह पता होगा कि गांव में किसी के पास कोई हथियार नहीं है तो वे गांवों को लूटेंगे। एक तरफ तो हथियार-बन्द लोग होंगे और दूसरी तरफ निहत्थे लोग होंगे । इसमें करेंसे मुकाबला होगा ? कहीं-कहीं तो पुलिस वाले डकैती के मामलों में पकड़े जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तरफ लोगों के पास हथियार होंगे ग्रौर दूसरी तरफ निहत्थे लोग होंगे तो आप देश के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते हैं। अगर आपको इसको रोकना है तो ग्राप हथियारों को फी कर दीजिये। ग्रगर डकैंत को पता होगा कि इस गांव में लोगों के पास हथियार हैं तो वह एकदम से हमला नहीं कर सकता है। उसको पता होगा कि दूसरी तरफ से भी मुकाबला हो सकता है। जहां तक गुण्डों का सवाल है, ग्राप किसी भी चौराहे पर चले जाइये, ग्राप देखेंगे कि गुण्डे को यह **ग्रात्म-वि**श्वास होता है कि हथियार सिर्फ मेरे पास है, ग्रन्य लोग तो निहत्थे हैं। इसलिए उसके मन में जो ग्राता है वह करता है ग्रौर लोगों को मार भी डालता है। ग्रगर ग्राप हथियारों को फी कर देंगे तो उसको अपना भी खतरा होगा। हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों के पास हथियार नहीं होते हैं, इसीलिए उन पर ग्रत्याचार होते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ईमानदारी से इन वर्गों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। ग्रगर ग्राप चाहते तो हथियारों पर इस प्रकार से प्रतिबन्ध नहीं लगाते। इमरजेन्सी के दिनों में हम देवरिया जेल में थे। वहां पर हमने देखा कि आई० टी० ग्राई० के स्कूल में कट्टा बनता है, पुलिस वाले ग्राकर बनाते हैं। जब इस

e reference and a sur-

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

प्रकार की हालत है तो ग्राप किस प्रकार से शांति ग्रौर व्यवस्था को बना सकते है? इसलिए मैंने निवेदन किया कि ग्राप हथियारों को फी कर दीजिये ताकि कमजोर वर्ग के लोग ग्रपनी रक्षा स्वयं कर सकें।

एक बात यह कही जाती है कि **ग्रगर हथिया**रों को फी कर देंगे तो समास्त्र कांति हो जाएगी, गड़बड़ी हो नारगी। मैं यह कहना चाहता हं कि पहला विश्व युद्ध धरती पर लड़ा गया था, दूसरा विश्व युद्ध आसमान पर लड़ा गया था ग्रौर ग्रब तीसरा विश्व युद्ध कोठरी में लड़ा जाएगा। श्राप कोठरी में बन्द होंगे ग्रौर कोई भी ग्रा कर ग्राप पर बम गिरा जाएगा। हथियारों को फी करने से कोई भी सशस्त्र कांति नहीं होने वाली है। जब तक संशस्त्र कांति के लिए विदेशों से सहायता नहीं मिलेगी, विदेशी हस्तक्षेय नहीं होगा, तब तक सशस्त्र क्रांति इस देश में नहीं हो सकती है, इसका कोई डर नहीं है। म्राज रोज पंजाब के म्रन्दर इतना इल्ला हो रहा है । सरकार की अगर इच्छा होती तो दस दिन के अन्दर इसको बन्द किया जा सकता है।लेकिन आज तो स्थिति यह है कि मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा । कोई प्रिय है ग्रौर कोई अप्रिय है। इस प्रकार से काम कैसे चलेगा ? म्राज राष्ट्रीय एकता की बात कही जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। लेकिन ग्रभी श्रीलंका के ग्रन्दर ग्रापने देखा कि किस प्रकार से हमारे हिन्दुस्तानी भाई मारे गये है। प्रधान मंत्री जी ने भी इस बारे में कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडू एक मलग राष्ट्र है ? यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तानी मारे जा रहे हैं, कहा तमिल मारे जा रहे हैं। ग्रापने नहीं कहा हिम्मत के साथ कि हिन्दुस्तानियों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या आपने यह मान लिया है कि

तमिलनाडु भ्रलग राष्ट्र है। लेकिन चगता है कि हमारी दृष्टि खराब हो गई, म्रापकी दुष्टि खराब हो गई, म्राप सही द्ष्टि से समस्या को सोचना नहीं चाइते, समझना नहीं चाहते, ईमान की कमी है नहीं तो ज्ञान की कमी है, श्राप जानेंगे कि किसकी कमी है। मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गरीबों की रक्षा करना चाहते हैं तो ग्रगर गांव में हथियार बन सकते हों तो इसको कानूनी कर दीजिये। श्रगर श्राप प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो रखने वाले को लाइसेंस दे दीजिये, 10-5 रुपये लेकर और बनाने वाले को भी लाइसेंस दे बीजिये ताकि श्रापको जानकारी रहे कि कहां-कहां हथियार बन रहे हैं। श्रभी हमारे एक मिन्न कह रहे थे कि खुले भाम ये कारखाने चल रहे हैं, पुलिस की मदद से, नेताम्रों की मदद से ग्रौर चमेंगे। इसलिये कि जब बुध कैप्चर करके श्राप चुनाव जीतेंगे जब गोली चलांकर चुनाव जीतेंगे ग्रौर लोगों को दबाकर रखेंगे ग्रवैध हथियारों के बल पर, वैध हथियारों से अपराध बहुत कम होते हैं, 95 प्रतिशत अपराध अवैध इथियारों से होते हैं ... (समय की घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं।

इसलिये मेरा भ्रापसे निवेदन है कि जब श्राप श्रवैद्य हथियारों को रोक नहीं सकते तो सब को रखने की इजाजत दीजिये। मैंने संप्रोधन दिया है वह यही दिया है। अगर इजाजत हो तो मैं उस संप्रोधन को पढ़ दूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : जरूरत नहीं।

श्वी राम नरेश कुशवाहाः मैं ग्रपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सेठी जी से यह कहबा चाहता हूं कि ...

[17 AUG. 1702]

उपसभाध्यक्ष (श्रो दिनेश गोस्वामी) : श्री लस्कर ।

श्वी राम नरंग कु गवाहाः हैं नहीं मंत्री महोदय । मैं कानून मंत्री जी ग्रीर गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रापको ग्रगर रत्ती भर भी इस देम के गरीबों का ख्याल है, हरिजन, ग्रादिवासियों ग्रीर पिछड़े वर्गों का घ्यान है तो निश्चित रूप से यह काम कीजिये । इन चंद शब्दों के साथ मैं ग्रापसे विदा लेता हं। धन्यवाद ।

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेष) : उपसभाष्यक्ष जी, यह श्रामं श्रमेंडमेंट बिल, 1988 जो है इसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, जो म्राज देश की स्थिति है, जो कानून ग्रौर व्यवस्था की स्थिति है, तमाम तरफ से, चाहे वह पंजाब हो, चाहे ग्रसम हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, जो व।इलेंस बढ़ रहा है, जो हिंसा बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो यह बिल लाया गया है उचित है।लेकिन ऐसा लगता है कि इस बिल को पेश करने के पहले पूरे तरीके से इस पर विचार नहीं किया गया । ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी में यह बिल लाया गया हो क्योंकि ग्रगर इसके प्रोविजंस को देखें तो एक इसमें जो प्रावधान है, हालांकि उस प्रावधान के इरादे के बारे में, जो उसका दुष्टिकोण है, वह ठीक हो सकता है, मैं उसमें शर्क नहीं करता हूं । लेकिन ग्रगर लाइसेंसिंग ग्रथारिटी रिपोर्ट मांगती है श्रौर पुलिस के द्वारा निश्चित समय के ग्रंदर रिपोर्ट नहीं ग्राती है तो लाइसेंस ग्रान्ट कर दिया जायेगा। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस के लोग गरीब लोगों को बहुत परेशान करते है, लाइसेंस के सिलसिले में, रिपोर्ट देने के सिलसिले में। दूसरी तरफ सो० मार० पी० सी० में,

1973 में जो एक प्रावधान किया गया है. मझे सेक्शन इस समय याद नहीं है, कि ग्रगर 60 दिन के ग्रंदर चार्जशीट नहीं माती है तो जमानत मंजूर कर दी जायेगी। नतीजा यह हुग्रा कि लोगों ने पुलिस को मप्रोच करना शुरू किया ग्रौर जो तमाम मर्डरर्स थे जो हार्डेन्ड किमिनल्स थे ग्रौर जो लोग पैसा खर्च कर सकते थे, उन्होंने यह व्यवस्था कर ली कि उनकी 60 दिन के मन्दर चाजँशीट न आये मौर मदालत को मजबूर होकर उनको जमानत पर छोड़ना पडे। तो इस पर विचार करने की जरूरत है ग्रौर एक बहुत बैंलेन्स्ड व्यू इस पर रखने की जरूरत है। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे पुलिस का तो तलब किया जाये जवाब कि क्यों श्रापने रिपोर्ट नहीं भेजों। एक टाइम दे दिया जाए कि इतने दिन ग्रौर इतना समय ग्रापको दिया जाता है लेकिन बिलकूल बिना पुलिस को रिपोर्ट के हालांकि पुलिस रिपोर्ट भौ माजकल जो शिकायतें मा रही हैं माजकल जैसे देखने में आता है कि जो आदमो पैसाखर्च कर देता है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो किमिनल हैं वे पैसा खर्च करके अपने फेवर में रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, ग्रौर जो भला ग्रादमी है वह दो-दो, चार-चार महोने दौड़ता रहता है...

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश): पुलिस से हथाियर ले कर हत्या करता है वह भो बता दोजिए।

श्वी नरेन्द्र सिंह : वहं ग्राप वता दोजिएगा । तो इस पर कोई ऐसा तरोका निकाला जाना चाहिए जिससे , कि पुलिस का रिपोर्ट जरूरी हो क्योंकि ला एंड ग्रार्डर मेनटेन करना पुलिस का काम है । तो कोई ऐसी व्यवस्था इस पर जरूर होनो चाहिए ।

दूसरा इसमें एक बहुत ग्रच्छा प्रावधान है, उसके लिये मैं सरकार को, गुह मंत्री

and the second secon

]श्री नरेन्द्र सिंह]

जों को बधाई देता हूं। इन्होंने सोलिंग को है कि तोन से ज्यादा हथियार नहीं होने चाहिएं। मैं तो अपने भाई रुद्र प्रताप सिंह जी को इन्होंने कहा है कि 6 ग्रसलहे इनके पास हैं तोन मुख्य मंत्री को वे दे देंगे ताकि वे उत्तर प्रदेश में म्यु-जियम में रखे जाएं इस तरोके से बहुत से लोगों को करना चाहिए । यह बहुत ग्रच्छो बात है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तोन का प्रावधान कैसे रखा गया है ? क्या दो काफो नहीं हैं ? तोन को बात कैसे ग्राई ? एक लाइट वेपन हो सकता है । पिस्टल ग्रादमी रख सकता है और एक राइफल हो सकतो है। यह तोन को क्या जरूरत थों ? तोन के बजाय यदि दो हथियार हों क्योंकि एक हथियार से ज्यादा ग्रगर कोई ग्रादमें रखता है तो इसके मायने यह है कि दर-ग्रसल वह सुरक्षा के लिए नहीं रखना चाहता है बल्कि वह दिखावे के लिए, ग्रपनों प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये रखना चाहता है। सुरक्षा के लिये कोई तोन हथि-यारों को जरूरत नहीं है उसके लिये ग्राप दो रख सकते हैं एक लाइट वेपन पिस्टल ग्रादि हो सकते। है और एक राइफल या गन । इस तरोके से हो सकता है। इसलिये दो जरूरो है। लेकिन यहां कुछ लोगों को इस पर कष्ट हो रहा है कि हमारे जो पुराने ग्रसलहे हैं वे जब्त हो जायेंगे, वह देने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे । इससे उनको तकलीफ हो सकती है। कहीं कहीं ऐसा भौ हो सकता है कि वे बहुत पुराने हथियार हों और म्युजियम में रखने के काबिल हों। अगर यह पुलिस के लोगों को दे दिये जायें तो वे इन्हें अपने म्युजियम में रख लेंगे तो उसका कुछ ऐसा व्यवस्था होनो चाहिए एक टाइम देकरके कि उनको रोफ कस्टडो को गारन्टा होने। चाहिए कि जो हथियार जमा होंगे इनमें

बहुत से पुराने ऐतिहासिक महत्व के भी हो सकते हैं उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जायेगा ग्रौर इसी जगह में एक बात ग्रौर कहना चाहता हूं कि कोई भो चोज किसी से ग्रगर लो जाए तो उसका मुग्रावजा जरूर दिया जाना चाहिए । हालांकि यह भो मैं मानता हूं कि ग्रगर किसों के पास ग्राठ-दस ग्रसलहे हैं ये गरोब लोगों के पास नहीं होंगे लेकिन चाहे कोई भो हो मुग्रावजा जरूर दिया जाना चाहिए । इसके बारे में कुछ नियम बनाए जाने चाहिए कि इस पर इतना मुत्रावजा दिया जायेगा । बिना मुग्रावजा के किसी की चाज लेना किसी को वस्तु लेना मुनासिब नहीं है । उसका मुग्रावजा दिया जाना चाहिए। ग्रब मान्यवर, ग्रार्म्स एक्ट में प्रावधान है कि तहसोल से या थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है कि इस ग्रादमों के पास हथियार रखने को जगह भो है या नहीं, इसके पास सम्पत्ति है या नहीं। पुलिस तो रिपोर्ट देदे कि इसका चाल-चलन ग्रच्छा हैलेकिन तहसोलदार कहता है कि इसके पास खाने के लिये नहीं है रहने के लिये जगह नहीं है। मान्यवर, यह सहो है कि सम्पत्ति को रक्षा होनों चाहिए क्योंकि इसमें है कि काप को प्रोटेक्शन के लिये, प्रापर्टी को प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस को जरूरत तो होना हो चाहिए । मान्यवर, मेरा निवेंदन यह है कि इसमें प्रापर्टी के साथ-साथ परक्षन को, व्यक्ति को सुरक्षा बहुत जरूरो है। ग्राज जो गांवों में डकैतियां होतो हैं पहले मौर ग्राज में फर्क हो गया है । पहले यह होता था कि ऐसे स्रादमी के यहां डकैती पड़ती थी जिसके यहां रुपया पैसा होता था, धन होता था, लेकिन आज होता यह है कि डकैत लोग जाते हैं ग्रौर गांव के किनारे के 10 हरिजनों के, गरीब लोगों के घरों को लूट लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो डंडा भी नहीं होता है अपने बचाव के लिए। तो मान्यवर, जैसा कि

सरकार की नीति है, अतः इन गरीब लोगों को भी लाइसेंस मिल सकें, ये गरीब लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र रख सकें, इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए ।

मान्यवर, दरग्रसल जो समस्या है वह लाइसेंस्ड ग्राम्सं की नहीं है । लाइसेंस्ड ग्रार्म्स तो ग्रापके पास रिकार्ड में है, कभी भी ग्राप चाहें उनको जमा करा लीजिये । प्राब्लम है अनलाइसेंस्ड ग्राम्सं की, इल्लीगल ग्राम्स की और इल्लीगल ग्रार्म्स किस के पास हैं? बात साफ है कि इल्लीगल ग्राम्सं कमजोर लोगों के पास नही हैं । इल्लीगल ग्रार्म्स हैं, ताकतवर लोगों के पास, मजबूत लोगों के पास । वैसे तो किसी के पास इल्लीगल आर्म्स हैं तो उसको सजा का प्रावधान है लेकिन मैं गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिये 10 दिन का या 15 दिन का एक ड्राइव होना चाहिए, जिसका कि लोगों को पनान हो ग्रीर जिसमें सारे देश में लोगों के पास जो इल्लीगल आर्म्स हैं उनको सख्ती के साथ बिना किसी रियायत के ले लेना चाहिए। मैं तो इसमें यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि चाहे वह बहुत ही पवित्र से पवित्र जगह क्यों न हो अगर वहां पर इल्लीगल आर्म्स हैं तो वहां पर उनको नहीं रखाजा सकता है, कोई इल्लीगल चीज नहीं रखी जा सकती है क्योंकि इल्लीगल चीज के रखने से वह पवित स्थान भी ग्रपने ग्राप में ग्रपवित हो जायेगा । इस इस तरह का एक ड्राइव होना चाहिए । मान्य-वर, मुझे इसका एक तजुर्बा है । मैं उनका नाम नहीं लुंगा क्योंकि वे मेरे मित्र हैं। मेरे पड़ोंस में एक जिला है, उन्नाव। उन्नाव में बहुत इल्लोगल आर्म्स है । मैंने उनसे कहा कि एक काम कर सकते हो कि अगर वहां गरीब आदमी की हिफाजत करना चाहते हो तो इल्ली-गल ग्राम्स को रिकवर कराम्रो । उन्होंने कैम्प करके तमाम जगहों में, कई

हजार इल्लीगल ग्राम्सं रिकवर किये। तो ग्रगर पुलिस चाहे ग्रौर प्रयास हो तो इन इल्लीगल ग्राम्सं की रिकवरी हो सकती है मान्यवर, इन इल्लीगल आर्म्स के ब_ररे ऐसा नहीं है कि छोटे-छोटे में म्रार्म्स ही इल्लीगल ग्रार्म्स में आते हों, बड़े-बड़े सोफिस्टीकेटेड वीपन्स जैसे स्टेन गन, राइफलस, लाइट मशीन गन्स आदि भी डकैतों के पास हैं। कहां से ये आरं इनके पास? अक्सर ऐसा सुनने में आत. है कि फलां डकैत पकड़ा गया उसके पास से ब्रेन गन पराड़ी गयी, स्टेन गने पकड़ी गयी और इतने हजार कारतूस पकड़े गये । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उनके पास ये हथियार कहां से आये? या तो थे बाहर से आये या हमारे यहां के लोगों ने जिनके पास इस तरह के हथियार हो सकते थे, उन लोगों ने उनको वे हथियार सप्लाई किये, ग्रतः इस पर ख्याल करने की जरूरत है कि इल्लीगल म्राम्सं के साथ जो इल्लीगल म्रम्यूनिशन्स हैं वे बड़ी तादाद में उनके पास कहां से पहुंच जाते हैं। इस बात को देखनेकी जरूरत है।

मान्यवर, ये जो लीगल ग्राम्सं लाइ-सेंस्ड ग्रार्म्स हैं इनका अपराध करने के लिये, जुर्म करने के लिये बहुत कम उपयोग होता है, ज्यादातर अनलाइसेंस्ड ग्रार्म्स ही इस्तेमाल किये जाते हैं। तो लाइसेंस्ड ग्रार्म्स की, जैसा मैंने कहा कि प्राब्लम नहीं है। प्राब्लम है इल्लीगल ग्रीर अनलाइसेंस्ड ग्रार्म्स की ग्रीर उसकी व्यवस्था करने की जरूरत है।

अब मान्यवर, यह एक अवसर है इस-लिए मैं उसका लाभ उठाना चाहता हूं। हमारा कानपुर जनपद है वह डाकू ग्रस्त इलाका घोषित है। वहां यमुना के किनारे के गांवों में पुलिस तो पहुंच नहीं पाती है और लोगों के पास आर्म्स नहीं है। हम कलेक्टर से बात करते हैं तो कलेक्टर कहता है कि राइफल का लाइसेंस देने की इजाजत नहीं है। पुलिस हिफाजत कर नहीं सकती है,

and the second second second

--0

लाइसेंस आप दे नहीं सकते, आखिर कैसे लोगों की हिफाजत होगी ? माग्यवर, इस तराके को व्यवस्था को जरूरत है, इज तराके के इंस्टुक्शंस जारो करने को जरूरत है जिसे गरोब लोगों कर ते को जरूरत है जिसे गरोब लोगों को हिफाजत हो सके, कह अपनो रक्षा को हिफाजत हो सके, वह अपनो रक्षा कर सकें, उनको मुरक्षा हो सके ।

And Alling

तो, मान्यवर, मैं गृह मंत्रो जो से तिवेदत करूंगा कि जो हमने मुझाव दिये हैं ग्रोर जा हमारे कई एक मित्रों ने सुझाव दिये हैं, उतको ख्याल में रखते हुर कोई एक ग्रन्टा ग्रनेंडेड विल लाये जिससे कि जो इस बिल में कमियां रह गई हैं, उतको पूरा किया जा सके, उतको दूर किणां जा सके ।

इन्हों णन्दों के साथ मैं इस बिल को समर्थन करता हूं और, मान्यवर, ग्रेमिको बहुत-ब्रहुत धन्यवाट देता हूं कि ग्रेमिने मुझे कुछ कहने का मौका दिया।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय, इस बिल के जरिए सरकार समाज विरोधी तत्व जो समाज में फैले हए हैं, उनक नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस बिल को और भो अधिक कठिन और कठोर बनाना चाहतो है, लेकिन लगता यह है कि, और इसलिए बिल ने अन्दर कुछ ऐसो वातें कही गई हैं जिससे लगता यह है कि संचम्च में सरकार कुछ करना चाहते। है। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है, वह इस बिल से पूरा होने वाला नहीं हैं । दो प्रोवोजन, दो उपबंध इस बिल में महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि सरकार आनेय आस्त्रों को सोमित करना चाहतो है और दूसरा यह कि जो डिस्टर्क्ड क्षेत्र हैं, जो गड़वड़ी वाले इलाके हैं, उन इलाकों के अंटर जिनके पास ग्राग्नेय ग्रस्त्र हैं, उनको एक विज्ञपति के द्वारा, अगर उस इलाके में

गड़वड़ हैं, तो समर्पण कराने या लेकर चलते पर पाबन्दो लगाना चाहती है।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार के यह दो- उददेश्य पूरे हो सकते हैं । अगर देखा जाए, तो पाया यह जाता है कि आग्नेय अस्त आम नौर पर आजकल तान-चार तरह के लोगों के पास हैं । गांवों में जो भूस्वामी हैं, पुराने जमीदार हैं, राजा और महाराजा है और धनो किसान हैं, जिनके पास कानूनो आग्नेय अस्त हैं और उनके पास कानूनो आग्नेय अस्त हैं और उनके पास जिनने आग्नेय अस्त हैं और उनके पास जिनने आग्नेय अस्त हैं और उनके पास दिं और कानूना अस्त महज पर्दा का काम कर रहे हैं गैर-कान्नो अस्तों को रखने दे लिए !

दूसरे जो अस्त्र भाषे जा रहे हैं, वह एंडा तथ्वों के पास---चाहे वह गांवों में रहते हों, या ब्रौद्योगिक क्षेत्रों म रहते हों ग्रीर तासरे जो ग्रब ग्राग्तेय ग्रस्त हैं, वह ग्रांतंकवादियों के पास+--चाहे यह वामपंथी आंतंकवादी हों या दक्षिणपंथी आंतंकवादी हों, सब से जो चिता का विषय है, वह यह है कि देश के अंदर जितना आजकल कान्नी अस्त नहीं हैं, उससे कई गुना भ्राधिक गैर-कान्नो अस्व हैं। ऐसो स्थिति में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के अन्दर असंख्य संख्या में जो गैर-कानूनो ग्रस्त हैं, न्या इस बिल के जरिए उन पर कोई नियल्वण रखा जासकता है? स्रोर यह जो सस्त है आज यह ग्रस्त आमतौर पर कानून वे अन्दर अस्त्र मिलता है जान और माल को हिफाजत के लिए लेकिन इन अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है भूस्वामियों के द्वारा गांव के अन्दर जब कोई भूमि सम्बन्धो आन्दोलन होता है या न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धों कानून को लागू करने के सम्बन्ध में जान्दोलन होता है । ये अस्त्र भस्वामियों द्वारा दबाने में इस्तेमाल होते हैं। श्रीद्योगिक क्षेत्रों में जो मापिया

. 4

गैंग तैयार हो गये हैं वे प्रपने ट्रेड्यूनियन प्रतिद्वन्दियों को दवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ग्रौद्योगिक मजदूरों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं । ग्रासाम ग्रोर पंजाव में जो प्रभी मस्त्र-शस्त्र का इस्तेमाल हो रहा है वह एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। उन मातंकवादियों के पार देशी इथियार हो नहीं हैं बल्कि विदेशी हथियार भी उन्हें प्राप्त हैं । ये उन्हें कहा से मिलते हैं सरकार को जानकारी होगी । इन ग्रस्त-शस्त्र का इस्तेमाल चनाव के दौरान बुधों पर कव्जा करने के लिए होता है। सब से प्रधिक इस का इस्तेमाल आजकल इस राजनीतिक उद्देश्य की पुरित के लिए होता है । मैं तो बिहार से ग्राता हूं ग्रीर मुझे इस बात की जानकारी है कि बिहार के ग्रन्दर गैरकानुनो हथियारों को बनाने ने लिए कई कारखाने वने हुए हैं जहां ग्रासानी से पाइप गन मिल सकली है सौ ग्रीर दो सी रूपये में । ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह जानना चाहता <mark>हं कि गैरकान्</mark>नी हथियार जो गांवों वे• ग्रन्दर जमीदार, बनी किसान, पुराने राजा-महाराजा ग्रोर भुस्वामियों के हाथों में जमा हो गये हैं क्या सरकार ਤਜਸ਼ੇ जब्त करने की दिशा में कोई कदम

इस बिल के अन्दर कहा गया है किसी भी आदमी के पास तीन से अधिक हथियार नहीं हो सकते । हमारे यहां संयुक्त परिवार है । एक ही परिवार के अन्दर में जब कोई बालिग हो जायेगा इस कानून के मुताबिक 21 वर्ष का हो जायेगा उसे भी हथियार प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है । एसी स्थिति में तीन की जो सीमा रखी

उठाना चाहरी है?

गयी है वह बेकार है। एक ही परिवार के अन्दर रई आदमी होंगे जिन्हें तीन से अधिक हथियार रखने की झाजादी मिल जाती है इस कानून के जरिये। यह सही है कि पहले लोग असंख्य हणियार रखते थे, राजा-महाराजाओं के पास हथियारों की सीमा नहीं रहती थी। तीन की बात कही जा रही है। इस से भी प्रधिक हथिमार लोग रख सकते हैं, जैसी कि हमारे यहां परिस्थिति है।

बह जो ग्राम्स एकट है यह 1959 से है । पहले भी आर्म्स एक्ट रहा होगा, मैं ग्रान्दाजा करता हूं । इस के मुताबिन जान ग्रौर माल की हिफाजत करने के लिए माग्नेग्रस्त प्राप्त किये जा सकते हैं। किस के पास ग्रस्त हैं ग्रभी कानून के मुताबिक? भुस्वामियों के पास, राजा-महाराजाम्रों के पास, जमीदारों के पास, धनी किसानों के पास । यह कानून हथियार दे सकता है समाज के दबंग लोगों को, यह कानून हथियार दे सकता है जिन के पास धन है। मैं सरकार से यह पूछं कि जब से यह कानून बना है तब से क्या इस कानून के जरिए गांवों के ग्रन्दर कोई भी हरिजन, कोई भी ग्रादिवासी, कोई भी मध्यम किसान ग्रग्नेग्रस्त प्राप्त कर सका है ? नहीं । लगता यह है कि कानून बना कर सरकार महज गांवों के ग्रन्दर जो धनौ लोग हैं उन के स्वार्थों की रक्षा करने के प्रलावा ु कुछ नहीं प्राप्ः करना चाहती है । 3 ™____ दूसरी बात इसी से निकलती है कि सरकार के सामने धन का, माल का ज्यादा महत्व है जान से । ऐसी स्थिति में गांवों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें इधियार इस कानून के जरिये नहीं मिलता है । हम ही नहीं, कई

1996年,1997年1月1日日,1997年,1997年,1997年月日日,1997年,1997年日,1997年 1997年—1997年年,1997年月月日,1997年月月日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,1997年日,19

[श्रो सुरज प्रसाद]

लोगों ने इस संबंध में अपनी बात बतायी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कानून में इस तरह का प्रावधान के का जाना चाहिए कि कानुन के अंदर को जान की हिफाजत के लिये अगर कोई किजन बा कोई ग्रादिवासी या कमजोर वग का आदमी या गरीब किसान या मध्यम किसान अपनी जान की हिफाजत के लिये ग्राग्नेयास्त्र प्राप्त करना चाहे तो इस कानून के दायरे के अंदर उसे वह प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो इस कानून के अपंदर नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस कानून को लाने का कारण पंजाब और झासाम की समस्या है । उस ने मजबूर किया है सरकार को इस को लाने के लिये । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कानून के जरिये पंजाब के ग्रंदर ग्रातकवादियों के पास जो हथियार हैं उन हथियारों को जन्त कर सकती है इस कानून के पास हो जाने के बाद? मैं समझ ता हूं कि यह ग्रसंभव हैं। ग्रभी हम लोग यह सुन रहे हैं कि **ग्रम**ृतसर के स्वर्ण मंदिर में हथियार काफी संख्या में जमा हैं । क्या इस कानन के पास हो जाने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि ग्राप यह हिम्मत दिखायेंगे कि श्रमतसर के स्वर्ण मन्दिर में जो हशियार जमा हैं उन को जब्त करने की दिशा में कोई कदम उठायेंग ? मेरी समझ में तो यह संभव नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून के अंदर ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि एक आदमी के गास एक से प्रधिक हथियार न हों। इस के लिये मैंने संशोधन भी दिया है ग्रौर मैं समझता हूं कि सरकार को उस संशोधन को मान लेना चाहिये ।

तीसरी बात जो इस कानून के संबंध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह कानून अधूरा है । यह कानून संकीर्ण है । एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि और तरह की बातें ग्रौर विचार जो माननीय सदस्यों ने महां बहस के दौरान रखे हैं उन का समावेश इस में हो सके । स्राज देश में जो ग्रातंकबादियों की लहर फैल रही है उस के पीछे सामाजिक और क्राधिक कारण हैं ग्रोर जब तक सामाजिक ग्रौर **ब्राधिक कारणों और इन कमियों को** दुर नहीं किया जायेगा और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जायेगा मैं समझता हूं कि इस कानूम के जरिये इस आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता । इसलिये सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए । देश में पंजाब की जो समस्या है वह महज कानून ग्रौर व्यवस्था की समस्या नहीं है। उस के षीछे ग्राधिक ग्रौर राजनीतिक कारण भी निहित हैं ग्रौर इस लिये इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए ताकि इन समस्याओं का समाधान निकल सके ।

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक 1959 के ग्राम्स ऐक्ट में संशोधन के वास्ते पेश किया गया है और 22 जुन 1983 के ग्राडिनेंस का स्थान लेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री ग्रार० श्रा.र० मोरारका) पोठासीन हुए।]

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और चाहता ह कि माननीय मंत्री जी उन सुझाबों पर ग्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें । इस में दो रायें नहीं कि इमारे देश में हिंसा का वातावरण बढ़ रहा है । बहुत तेजी में हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है । उदाहरण के लिये देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां खूंखार डाकूश्रों के प्रड्डे हैं जो रक्तरात करते हैं हत्या ग्रौर बजात्कार करते हुए भले घरों को उजाड़ते हैं । ऐसे इलाकों में ग्रसाधारण तौर पर भयंकर हथियारों को पकड़ने के लिये चिधेयक में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं है ।

नम्बर दो, मैं यह भो कह कि देश में ऐसे भी इलाके हैं जहां हरिजनों और पिछड़े वर्ग को शक्तिगात्री वर्ग बोट नहीं डालने देता । पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने देता ।

अपने हथियारों के बल पर शक्ति गालो वर्ग उनकी जमीनों पर भी जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रत्तर्गत उनको मिलो हुई हैं, उन पर भी कब्जा करते हैं । ऐसे इलाकों में गरीबों को प्रपनी रक्षा के लिए क्रुछ न कुछ हथियार देने की व्यवस्था प्रस्तुत विवेयक में होनो चाहिए थी जो मैं समप्तता हू कि नहीं है । इसलिए मैं चाहता हू कि इस के विगय में मंत्री जो के क्या विचार हैं वह फरमायें ।

तीसरो बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ स्थान हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर कम्यूनल टैंशन बराबर रहती है । कुछ स्थान तो इस बारे में बड़े बदनाम हो गये हैं । ऐसे स्थानों पर गैर कानूनी ग्रार्म्स को पकड़ने के लिए क्या व्यवस्था को गई है यह बतायें । मैं चाहता हूं कि किसी भी जाति के जो जाने-माने साम्प्रदायिक तत्व हैं जो हथियार रखते हैं ग्रौर उनका दुरुपयोग करते हैं, उनके हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए जो कि इस विधेयक में नहीं किया गया है ।

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हं कि जैसा कि कई मातनोय सदस्त्रों ने भी इसका जिक किया है कि बहुत से धार्मिक संगठनों एवं व्यक्तियों के पास स्टेद-गन ग्रादि जैसे हथियार रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि धर्म के लिए हथियारों की क्या ग्रावश्ता है । पूजा के स्थलों पर पूजा न करके वहां पर गैर कानूनी हथियार जमा हों, यह बड़ो गलत बात है । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्ति या संगठनों के हथियारों को वापस लेने के लिए कदम उठाना चाहिए और सख्ती के साथ उनके गैर कानूनी हथियारों को जब्त करना चाहिए ।

श्रीमन, ग्रंतिम दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसा कि माननीय श्रो नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि सारे देश में गृह विभाग को एक जांच करानी चाहिए, सर्वे कराना चाहिए जहां पर कि गैर-कान्नी म्रार्म्स हैं, चाहे किसी बड़े घर में हों या डाकुक्रों के पास हों या उनके इलाकों में हों और उनको "कड़ने के लिए बड़ी मुस्तैंदी के साथ गृह मंत्रालय को कदम उठाने चाहिए ग्रौंर एक पूरो मुहिम चलाँनो चाहिए । लेकिन मौजूदा हालत में इस विधेयक में इस तरह को व्यवस्था नहीं की गई है जो कि मेरी राय में 21 ग्रावश्यक है ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जिन लोगों को ताइसेंस मिल सकते हैं उनकी उम्र बढ़ाकर 16 वर्ष से 21 कर दी गई है मैं चाहता हूं कि यह उम्र 21 के बजाय 18 वर्ष रखें। यह इमारे देश के नौनवानों के जो विचार हैं, उनको जो ग्राकाक्षायों हैं

229

4.31 .

[श्री' शान्ति त्यागी]

उनके ग्रनुरूप बात होगी ग्रौर ग्राप उनके साथ न्याय कर सकोंगे ।

यन्त में इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं; लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह विधेयक और अन्य जो कुछ विधेयक आये हैं उनमें बड़ी जल्दबाजी की गई प्रतीत होती है क्योंकि उनमें बहुत खामियां हैं । उनके आब्जेक्टिक्स बहुत साफ नहीं हैं और कम से कम जो धारायें उनके अन्तर्गत है बह बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, उनमें इजाफ़ा करने की आवश्यकता है और उनको संपूर्ण रूप में रखने की आवश्यकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ माननी^य उपसभापति जी, मैं ग्रापको धन्यवा^द देता हूं कि ग्रापने मुझे इस विधेयक पर ग्रपने विचार प्रस्तुत करने का ग्रवसर दिया।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman. Sir, the Bill which is before us, the Arms (Amendment) Bill, 1983, seems to be defective. It is not comprehensive. The whole problem which they have dealt with is about amendment of section 3, amendment of section 13, amendment of section 9 and other sections. So far as these sections are concerned, I would like to make some comments on two or three sections. In clause 3—amendment of section 3 it has been stated:

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person, other than a person referred to in sub-section (3), shall acquire, have in his possession or carry, at any time, more than three firearms:"

I would like to know why this number of three firearms has been put in this Bill. Why not one? Is there any need for a person to have more than one firearm for his safety? So it seems any person can have three firearms, in his name, in the name of his son, in the name of his wife and so on. In this way they can have more firearms. Secondly so far as amendment of Section 5 is concerned, it has been stated:

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person may, without holding a licence in this behalf, sell or transfer any arms or ammunition which he lawfully possesses for his own private use to another person who is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have, or is not prohibited by this Act or such other law from having in his possession such arms or ammunition."

That means, in a way licence has been given to persons who have lawfully held arms in their possession, who can sell to any person who is entitled to have firearms. So I would like to impress upon the Minister that laws should be made in such a way that all those persons who possess arms, whether legally or illegally, whether under licence or not, all of them should have registered their names with the concerned police station or the concerned authorities; otherwise, it is very difficult to control the number of armswhich they possess with them.

Thirdly, so far as amendment to Section 9 is concerned, I welcome it. For the word '16 years', the word '21 years' shall be substituted. All right. 'Sixteen' is too early an age for a person to have firearms. The age can be raised to 18 or 21, I have no quarrel with that, I welcome that.

Another loophole I find in this Bill is with regard to the amendment to Section 13. It says,

(2) On receipt of an application. the licensing authority shall call for the report of the officer in change of the nearest police station on that application, and such officer shall send his report within the prescribed time."

È

الل ا

But later on it has been stated that if the concerned police officer is not in a position to send his report, then automatically the licence will be granted to the applicant. It is here that I say that people who are really not entitled to have a licence, may lure the police officers and the police officers, in collusion with such people, may ignore to send the report deliberately. Thus all those persons who are not entitled to have licences will get licences under this amendment. So I want the Home Minister to seriously consider this lacuna. This amendment will prove very dangerous because under this all the anti-social elements are enabled to get licences for arms. These are some of the comments I wanted to make with regard to these sections.

I would then like to know from the Minister whether the licences for arms, firearms, which have been so far granted, have been issued properly or not, whether the Government has seriously considered this guestion at all, and whether the Government is going to take necessary steps or have necessary machinery for verifying the persons who are really in need of arms, to ensure that these who really do not need firearms do not get at them. Is there any machinery by which you can control the issuing of arms licences. So far as the common people are concerned, we are seeing how some antisocial elements, some big people, are harassing them, how they are committing atrocities on the weaker sections of the society, especially those who are not in a position to defend themselves. So the Government must help such weaker sections from groups or societies. you have to create a machinery in each village and each basti where people, as a group, should be able to defend the society or village or basti. For that purpose, firearms should be available to them as a group, not as individuals. I do not think that this Bill has any such provision. Those who really need protection should be protected. Now-a-days we all know that law and order problem is there everywhere. So strict measures should be taken to see that innocent people are protected. We all read news of murders taking place, loot taking place.

3

Strict measures should be faten to see that such things do not happen in future and anti-social elements should not be encouraged to get firearms.

श्री शांति त्यागी: उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य बिहार सरकार में मंत्री बन गये हैं ग्रौर ग्रभी वे यहां पर ग्राए हुए हैं । क्या हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री ग्रार० ग्रार० मंरारका): जी नहीं। श्री नत्वा सिंह।

श्रीनत्था सिंह (राजस्थान) : उपसभाष्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अन्दर जो बिल लाये हैं उस पर चर्चा चल रही है। उसके संबंध में दो शब्द मैं भी कहना चाहंगा । राजस्थान के जिस इलाके से मैं ग्राता हें वहां पर डर्कती की बहत ज्यादा वारदातें होती हैं । यह इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुन्रा है । मैं राजस्थान के धौलपूर ग्रौर भरतपुर इलाके से ग्राता हूं । इस इलाके के बारे में मैं कुछ घटनाएं सदन में बतलाऊंगा । वहां पर गांवों में ग्रौर छोटे छोटे नगरों में हरिजनों की ग्रलग ग्रलग बस्तियां बनी हई हैं । इन गांवों में डर्कत बन्दूक ले करके, हथियार ले करके उन पर ग्राकमण कर देते हैं । फायरिंग करके, डरा करके मातात्रों ग्रौर बहिनों को घरों से निकाल कर उनके पास जो भो कड़े या दूसरे गहने होते हैं उनको छीन लेते हैं। कानों में जो भा वालियां या दूसरी चीजें होती हैं, नेवरी होतो है, उन सब को उतार कर ले जाते हैं । ऐसी ऐसी घटनाएं देखन में ग्राती है कि ग्रगर किसी ग्रौरत का बच्चा हो रहा हो या बच्चा हुआ हो तो उसके पास से भी सारी चीजें ले जात है। कहते हैं कि फलां की बहू कहां है ?

[अो नत्था सिंह]

उनके परों पर जो भी चीजें होती है उनको उतार कर ले जाते हैं । इस तरह से ग्रौरतों के सारे जेवर उतार लिये जाते हैं । ऐसी घटनाएं मेरे इलाके राजस्थान में माए दिन होती रहती हैं । भरतपुर, धौलपुर, करौली ग्रौर सवाई माधोपूर के इलाकों में स्रौर उत्तर प्रदेश ग्रौर मध्य प्रदेश की सीमा पर लगने वाले इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं एक निवेदन करुंगा कि जैसा ग्रभो थोडी देर पहले एक माननीय सदस्य ने इस सदन के ग्रन्दर कहा था कि शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स् के लोग जिन गांवों में बसते हैं या जिन ग्रलग-ग्रलग नगरियों में बसते हैं उनके गांव में तीन-चार लोगों को लायसेंस ग्रवध्य मिलने चाहिएं । मैं माननीय मंत्री जा से यह भी निवेदन करूंग कि गैड़युल्ड कास्टस के लोगों को ग्रौर हरिजनों को मुपत में हथियार दिये जायें क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे हथियार खरीद सकें । कम से कम हाफ रेट पर उनको हथियार दिये जाने चाहिएं । मेरा सुझाव तो यह है कि हर गांद में जहां पर हरिजन बस्तियां हैं, जहां पर ग्रोड्युल्ड कास्ट्स स्रौर शेड्यूल्ड टाइब्स की ग्रलग ग्रलग बस्तियां हैं, उनको मफ्त में हथियार दिये जायें ताकि उन पर कोई ग्रन्याचार न करने पाये ग्रीर इस तरह की घटनाएं न होने पायें... (व्यवधान) । मौलवी साहब कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाय । मैं उस इलाके से म्राता हूं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं । मैं यह कहना चाहंगा कि कुछ प्रान्तों में शेड़यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शेड्यूल्ड ट्राइव्स के लोग पुलिस में क्रोर फौज में अधिकारों भी होते हैं । या जो भी म्राई. ए. एस. आफिसर हैं, क्लेक्टर हैं, डिप्टी भूपरिटेन्डेंट

हैं, ग्राई. जी. हैं, थानेदार हैं उनको कलम देकर दफ्तरों में लगाये रखते हैं ग्रौर थानेदार को किसी थाने में नहीं लगायेंगे, उसको लाइन में बैठा देंगे. एस. पी. को दफ्तर में बैठा देंगे. ग्राई.जी. को किसी जिले में नहीं लगायेंगे । यह हालत राजस्थान ग्रौर देश के हर प्रान्तों की है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ग्रन्रोध करुंगा ि गैड़यूल्ड कास्ट ग्रौर गैड़यूल्ड ट्राइब्स् के जो ग्रधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन को इन इलाकों में लगाया जाय । मैं इतना ही कहकर ग्राप लोगों से क्षमा चाहता हं ग्रौर इस बारे में मेरे यहीं सुझाव हैं ।

श्री हक्मदेव नारायण यादव: (बिहार) उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी जिस विधेयक पर सदन में विचार हो रहा है, मैं दो-चार बातों की ग्रोर सरकार का ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहुंगा । सर्वप्रथम जिस विचार को माननीय सदस्य श्री रामनरेश कुशदाहाने रखा था, मैं भी उस दिचार से सौ फीसदी सहमत हूं कि हथियार के ऊपर लाइसेंस रहे ही नहीं, हथियार बिल्कूल ग्राजाद कर दिये जायें ग्रौर जिसको जितने हथियार चाहियें, जितने हथियार वह रख सकता हो वह रखे। क्योंकि एक तरफ ग्राप जब लाइसेंस देते हैं, हमारे बिहार की क्या हालत है, गया जाइये, ग्रौरंगाबाद जाइये, रोहताश जाइये, भौजपुर जाइये. नवादा जाइये नालन्दा जाइये, वैगूसराय जाइये, मुंगेर जाइये, इन जिलों के लिये कह दिया गया है कि ये डिस्ट्रब्र्ड एरिया हैं, नक्स-लाइट एरिया हैं, नक्सलपंथी एरिया घोषित किया गया है । वहां जितने बडे बड़े लोग हैं, वे चाहे जितने हथियार जैसा चाहें लाइसेंस्ड ग्रौर ग्रन-लाइसेंस्ड हथियार रखते हैं ग्रौर उनका इस्तेमाल गरीबों के ऊपर करते हैं जो अपनी न्युनतम मजदूरी की लड़ाई लड़ते हैं, मपनी इज्जत मौर रोटी की लडाई

लड़ रहे हैं। जो रोटी की ही लड़ाई

नहीं लड़ रहे हैं बल्कि इज्जत की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वहां एक परम्परा ऐसी बनो है कि कोई भी नौजवान यदि शादी करेतो वह ग्रपनी पत्नी के साथ पहले नहीं सो सकता था जब तक कोई बडा ग्रादमी उसका शोल भंग न कर दे तो जहां ऐसी व्यवस्था चलती रही है ग्रौर गरीबों की बहू ग्रौर बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहा हो, जहां के लोग यह कहते रहे हैं कि सुन्दर ग्रीरत ग्रोर उपजाऊ भूमि तो गरोब के लिये परमात्मा ने बनायी ही नहीं है, ऐसे ग्रादर्श को मानने वाले लोग जहां रहते हैं, वहां वे ग्रपने हथियारों के बल पर उनकी इज्जत और रोटी के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। इन गरीब तबकों के पढे-लिखे नौजवान जिनको ग्राधनिक सभ्यता को हवा लग गई है, स्कूल ग्रौर कालेज में पढ़कर निकले हैं, वडे लोगों की संगत में ग्रा जाया करते हैं वे ग्रगर उस ग्रन्याय का प्रतिकार करते हैं तो उनको नक्सलपंथी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, ग्रराजक तत्व कहा जाता है ग्रौर उनके सीने पर गोली चलाई जाती है। प्रति दिन इन इलाकों में 10-20 लोग मारे जाते हैं, उनके ऊपर हथियार उठाये जाते हैं । जिनके ऊपर ये हथियार उठ रहे हैं उनके हाथ में हथियार नहीं हैं, जिनका खन हो रहा है, कत्ल हो रहा है उनके हाथ में हथियार नहीं है। क्या है उनके हाथ में, लाइसेंस्ड ग्रौर ग्रन-लाइसेंस्ड, जो कि इन पर ग्रत्याचार करते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिये कोई प्राव-धान नहीं है । मैं कहना चाहता हं कि सरकार विषमता को मिटाने में, ग्रन्धाय ग्रौर ग्रत्याचार को रोकने में पूर्णतः ग्रसंक्षम, ग्रसमर्थ ग्रौर ग्रसफल रही है ग्रीर इस ग्रसफलता, ग्रक्षमता को सरकार ग्रंपने ऊपर, अपने सर पर लेना नहीं बाहती । मेरी बिनम्त्र प्रार्थना है कि उन गरे बों के हाथ में भी हथियार लेने दो ताकि वे प्रपनी हिफाजत सुद कर सकें, क्योंकि आप उनकी हिफाजत. करते नहीं । अगर उनके पास इथियार होंगे तो वे स्वयं ग्रपनी हिफाजत कर सकेंगे । लेकिन वहां क्या होता है उन लोगों के घर पर पुलिस जाती है कि ग्रन-लाइसेंस्ड हथियार हैं ग्रौर सड़क पर कुछ हथियार फेंक देती हैं और 10-20 गरीब लोगों को मार देती है कि उनके पास से हथियार निकले हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस बारे में कुछ सोचे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों के नाम मैंने गिनाये हैं, उन जिलों के लिये हम लोग निरन्तर मांग करते रहे हैं कि भारत सरकार एक संसदीय समिति नियुक्त करे जो उन जिलों में जाकर इन बातों की जांच करे, पूरी दरयाफ्त करे, तफसील से जांच करे कि वहां पर क्या स्थिति पैदा हो रही है । पंजाब ग्रौर ग्रसम के लोगों में लड़ाई की ताकत है, ग्रान्दोलन ग्रौर सत्याग्रह करने की ताकत है क्योंकि वे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दुष्टि-कोण से रूक्षम ग्रौर समर्थ हैं कि वे लड़ाई लड़ सकें ग्रोर उनकी ग्रावाज यहां सुनी जाती है । लेकिन बिहार के ये जो 10-15 जिले हैं, जहां उन पर वहां निरन्तर जुल्म हो रहा है, ग्रत्याचार हो रहे हैं लेकिन उनकी म्रावाज निकल नहीं सकती क्योंकि वे ग्रायिक, राजनैतिक श्रौर सामाजिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं हैं ताकि वे **अपनी लड़ाई लड़ सकें ग्रौर** इसलिये उनकी बात नहीं सुनी जाती ।

दूसरी बात, ये गैर-कानूनी हथियार रखता कौन है ? राज-सत्ता जिसके हाथ में है, सामाजिक सत्ता जिनके हाथ में है, प्रशासनिक सत्ता जिनके हाथ में है, जिनके हाथ में ये सब केन्द्रित हैं, उनके बर में ही ज्यादा गैर-कानूनी इथियार इकट्ठे हैं । पकड़ेगा कौन ? गाव में कहावत है कि 'बाप बेटा दलाल

ाश्री हन्मदेव नारायण यादन]

बैल का दाम बारह ग्राना'. । बाप-बेटा दलाली करते हैं. राजनैतिक शक्ति भी वहीं है. प्रशासनिक शक्ति भी वहीं हैं। एम. एल. ए. एम. पी. उसी भर से निकल रहा है, आई.ए.एस., आई. पी.एस. अफसर उसी घर से निकल रहा है. ग्रदालत में कुसीं पर बैठ कर फैसला देने वाला भी उसी बर से निक-लता है मझे कहने में कोई एतराज नहीं है मझ पर न्यायपालिका के अपमान का इल्जाम लगाया जा सकता है लेकिन मैंने प्रपनी आंखों से देखा है कि जिस कौम के आगे लिखा रहता है कि यह दुसाध है, हरिजन है, कुरमी है, इस प्रकार लिखा रहता है तो वह अपराधी नहीं भी रहता तो भी उनकी जमानत ग्रदालत में नामंजूर हो जाती है ग्रौर बडे बडे लोगों को तो एंटोसिपेटरी बेल मिल जाती है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले सभी जगह बठे रहते हैं। इसलिए जो गैर-काननी हथियार का सवाल वहां इकठठा हम्रा है जिनके पास सारी सत्ता इकठठी है वही गैर कानूनी हथियारों के बल पर गरीबों के सीने पर गोली चलाते हैं। ग्राज ग्रगर इस देश में ग्रन्याय ग्रीर ग्रत्याचार को मिटाना है तो सब से बडा सवाल यह है कि हथियार फी कर दो । हमारे हाथ में भी हथियार ग्राने दो । क्योंकि म्राप हमारी रक्षा करने-में ग्रसक्षम साबित हो रहे हैं । इसलिए मुझे भी अपने हाथ में हेथियार लेने दो ताकि मैं जालिम के साथ लड कर मकाबला कर सके । लेकिन ग्राप मुझे रोकते हो । ग्राप एक तरफ सेमेरे हाथ से हथियार छीनते हो ग्रौर दूसरी तरफ जालिम के हाथ में हथियार देते हो पुलिस घर में आती है तमाम बड़े लोग उन गरीबों के साने पर गोली

चलाते हैं । पुलिस पार्टनर है, सरकार पार्टनर है । स्राप जालिम हैं स्रौर जल्मी हैं। जालिम और जुल्म के गर्भ से यह सरकार निकली है इसलिए आपके दिल में गरीबों के प्रति कोई दर्द नहीं है। ग्राप हमारे हाथ में हथियार फी कर दो हमारे हाथ में स्वतंत रुप से हथियार ग्राने दो । हमने फैसला लिया था । बिहार की गददी पर एक गरीब घर में झोंपडी में पैदा हम्रा डा. लोहिया का चेलाएक नाई का बेटा कार्परी ठाकर थोडे दिन गददी का मालिक बना था। इस ग्रन्याय ग्रौर इस ग्रत्याचार को रोकने के लिए उसकी सरकार ने फैसला लिया था कि जिस इलाके में कहीं भी हरिजनों ग्रीर कमजोर वर्ग के लोगों पर यदि गोली चलेगी उन पर अत्याचार होगा तो उस इलाके के तमाम बडे लोगों के हथियारों को जन्त कर लेंगे और थोडे में जमा कर देंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है किं वे उन गरीबों की हिफाजत करें ग्रपने हथियारों से। नम्बर-2 उन्होंने फैसला लिया था कि इन गरीबों पर ग्रगर अत्याचार होगा, ग्रातंक उस इलाके में यदि नहीं रोका जाएगा तो मजबर हो कर स्टेट पावर का इस्तेमाल कर के हम उन गरीबों के हाथ में पगी हथियार सरकार की ग्रोर से दे देंगे ग्रौर कहेंगे कि तम अपनी हिफाजत आप करो। क्या ग्राप ऐसा कर सकते हो । ग्रापकी सरकार नाम लेती है, इन्दिरा गांधी, नेहरु की सरकार गरीबों ग्रौर हरिजनों का नाम लेती है उनकी जय-जयकार करती है ग्रगर ग्राप यह भी कर दो तो मैं म्रापको बहुत बहुत धन्यवाद द्ंगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूं कि म्राप ऐसा कोई बिल बना कर लावें, म्राज म्राप कर सकते हो ग्राप उसको ग्रागे बढ्गग्रो । (व्यवधान)

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Vice-ChairThe Arms

[17 AUG, 1983]

242

man, Sir, this Bill has been brought after passing an Ordinance. Sir, the Aims and Objects of this Bill clearly show that there was absolutely no basis for the issue of an Ordinance on a matter was which pending for the last 2 years. Sir, therefore, a Resolution has rightly been brought forward disapproving the Ordinance, because this tendency to bring Ordinances when the ordinary course is open is really a misuse of power, and though condemned many times the Government is still using it.

Sir, so far as the Bill is concerned, I find that this piecemeal method of solving the problem is not going to help the society. Sir. our whole law is based on the status of man. People are given arms for the protection of their properties and person because they are high nlaced. People who are poor, down-trodden, are not given arms because they have no status in the society. The result was the land reforms legislation and other social legislations have remained on mere paper as such. The situation has changed. Arms are used by people like big landlords and others against innocent people, and there is much misuse of arms. Second, the assumption of this law was that Government will be able to enforce the law strictly and will be able to maintain law and order and afford protection. We find, Sir, in today's situation. Government is not in a position to maintain the law and order. Dacoities are taking place openly. Life has become insecure. Atrocities on women Atrocities on Harijans have increased. have increased. .Government has become wise after the event. If the law and order cannot be enforced in today's society-it may be due to political system corruption or anything else-the people lose faith. The fact remains that today the people have lost faith in the Government's capacity to maintain law and order. In some States, you cannot move freely after 4 o' clock. If you go out, you have to go with an armed jeep to protect you. This is the situation in U.P. and Bihar. Public meetings cannot be held after 4 o'clock. Therefore, I do not understand this provision of allowing three arms. A time-limit is there for the surrender of fire arms. I do not think it is a proper proposition which is going to solve this problem. Illegal arms are increasing. They are being used. Unlicensed arms are on the increase. The Government has been completely unseccessful in taking out arms from those that the people have arms. There are illegal factories working in many parts of the country. Under the situation. either the Government must have a rigid Arms Act completely prohibiting all these arms or a time has come when the Arms Act should be repealed so that the people can protect themselves against the goods elements Therefore, this bill, not being comprehensive, cannot solve the problem.

As regards the Bill, there are three defects which I would like to point out. The first is about the sportsmen. They cannot have more than 3 arms.

This will reduce the competitiveness of our sportsmen. Secondly, a question was raised about the number of persons in a family. If there are more persons in a family, then that family can have more arms. It is something like the family planning programme of the Government. In fact, I think that the number 3 has been taken from the family planning slogan. They have made this equation. Then, there is no limitation under this Act. Thirdly, provisions about punishment have not been strengthened. T would like to make only one submission. There is no logic in bringing forward this, amendment and issuing Ordinance. T therefore, oppose this Bill. I request the Minister to withdraw this Bill and to bring forward a comprehensive Bill if he really wants the Arms Act to he amended.

SHRE AJIT **KUMAR** SHARMA (Assam): Sir. all the hon. Members have pointed out that the Bill has certain defects. There are technical defects. defects in wording, etc. As it appears to me, defects are not so much in the Bill itself as in the very philosophy of the Government. The Government suffers from terrible defects by trusting more on the ordinances than on the power of the people expressed through the Parliament. It is because of this basic malady inside the Government that we have had so many ordinances. Even this present Bill which the Home Minister has brought

[Shri Ajit Kumar Sharma]

forward is to justify or to regularise the presidential ordinance. Again, from the very Statement of Objects and Reasons, we find that the ordinance ought not to have been issued by the Government. To justify the proclamation of the Ordimance, the Home Minister has stated that certain public disturbances occurred in the meanwhile compelling the Government to bring forward this ordinance. Although he has not mentioned specifically, these public disturbances are supposed to have occurred in Assam and Punjab and also in Kashmir. Now, the Home Minister has also admitted that on the original Bill which was passed by the Raiva Sabha and pending in the Lok Sabha, very valuable suggestions for the amendment of the Bill were also forthcoming. If this is so, the right course for the Government was to take up all these valuable suggestions, discuss the whole thing threadbare in the Parliament and pass the Bill. Instead of doing that. the Government has brought forward an Ordinance to curb the disturbances in Assam, Punjab, etc. But may I point out, Sir, does it not indicate the basic disease of the Government which looks at everything, every problem of the country from an angle of law and order? When people start a movement on some genuine causes, the Government immediately becomes afraid and it gets panicky. It seeks to suppress the people by means of draconian laws and not satisfied with that, now the Home Minister has brought forward this Arms (Amendment) Bill, Now, in Assam itself, you see that effect of such an Ordinance. The Minister of State for Home Affairs also comes from I wish he had gone to the Assam. villages and seen what had actually because of the happened extrodinary powers given to the Executive and the Executive Magistrates, and the consequences of the order of the Government on the law abiding people to surrender all the arms and ammunitions and even small gupns of the villagers: Is a village, one or two people possess guns, not for committing violence in the society but for protection purposes. What happened in Assam? From the villagers two or

three guns which were in possession of were taken away by the police and the next night, the whole village was attacked by the anti-social elements and there was completely massacre. The police did not help them. This is what has happened. And the Home Minister ought to have known it. By this Act or by this Ordinance, the Government has not and will not succeed in controlling the illegal firehas only encouraged them. arms. It And the encouragement comes from the political forces. And some political leaders are there. Sir, only a few days by there was an interesting anecdote told by a Member of Parliament from Allahabad in one of the Committees which we were attending. He was complaining that the Tinsukia Mail reaches Allahabad at three o'clock in the night, putting the passengers into a lot of difficulty because when the passengers go to their homes from the station at night, they are attacked by antisocial elements. And the Member has related his own experience. One night he was going home from the Allahabad railway station — he is aп MP from Allahabad and belongs the to rulling itself-and on the party way, he was attacked by the antiactivists. social His car was blocked. When he got out of the car, it was found that those anti-social elements were his own clients. And when these goondas saw him then the clients iust dispersed in a friendly way and he freely went home. I relate the story because this is the actual situation which the Home Minister has missed while framing this particular law. By making such laws and by issuing such Ordinances, he is not going to control firearms. If he is sincere in controlling the violence on account of the possession of these firearms, let him first of all control his own Police force to stop widespread State violence on innocent peaceful citizens. Let the Home Minister remember the violence committed by the police is the most menacing. India 18 the only country throughout the world where the police have killed the largest number of innocent people. Unarmed people have been killed by the Police personnel and various other state Forces. First of all, let the Home Minister control his own Department and show an example to the people. And only then he may be able to influence and correct the situation, and not by enacting such wrong laws as the present one.

Sir, I want to ask only two or three questions in this connection. First of all, I would like to know what concrete steps the Home Minister has taken to control the illegal manufacture of arms in the country, Secondly, what steps he has taken to prevent political support being given to these unlicensed arms Wolders? And, thirdly, what has he done for disarming the real culprits in the society? Only by withdrawing some necessary arms from a few citizens, he is not going to control the situation. That is why I find that this Bill can achieve nothing except that it can establish an unlicensed Government in the name of controlling unlicensed weapons. I, therefore, would request the Home Minister to withdraw this Bill and bring forward a new Bill with comprehensive measures for controlling violence in society, not only on account of illegal arms but all kinds of violence that we are facing including State violence in the 1 1 society.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अवैध आर्म्स पर रोक लगाने के लिए जो यह विधेयक कमारे सामने है वह किस अवैध ढंग से ग्राया है उस के बारे में थोडा बहत कहा गया है. लेकिन मैं भी कहना चाहता हं। म्राईनेंस के लिए इस सरकार का उनफेचएता है, एतमाई आफ आडिनेसेज है, यह सरकार आर्डिनेंस के द्वारा चलना चाहती है जो कि हमारे पालियामेंटरी सिस्टम के तौर-तरीके के खिलाफ है। उपसभाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा था कि एक बार जब सेशन शुरु होने जा रहा है तब आर्डिनेंस जारी करना उचित नहीं है, प्रापराइटी के खिलाफ है । ग्राडिनेंस जारी किया गया 22 जून को जिस पर यह कानून आया। 25 जूर को समन्स इसू हुए सेशन के

लिए । यदि सरकार इमीनेंट खतरा समझती होती तो 25 जन को सम्मन हए, 25 जुलाई को बैठक शरू हई, 25 जुलाई को लोक सभा में विधेयक ले आती है और 26 जलाई को पास करा कर एक महीने तीन दिन में--22 को मोडल पोइंट बना लें तो तेंतीस दिन में तरीके से जब कि 22 जून को म्राडिनेंस किया और ग्राज है 17 ग्रगस्त, इस का मतलब है 56 दिन बाद यह कानुन के रूप में आ रहा है । इस लिए बाका-यटा सेशन के शुरु होते ही विधेयक ग्राता, राज्य सभा से पास होता. बैध तरीके से तो वह एक बात होती, लेकिन जिस रूप में ग्राडिनेंस के जरिए लाया गया है उस से साफ होता है कि जो इमीनेंट डेंजर है उस को सरकार महसूस नहीं करती हैं, उस को इमपार्टेंस नहीं देती है । मैं जानना चाहता हं कि ग्राडिनेंस की जरुरत क्याथी जब सेशन शुरु हो रहा था। जो सामान्य तरीका है उस के खिलाफ सरकार का र**वैया** हो गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर बात उठी कि हरिजनों पर इन का इस्तेमाल होता है---यह स्पष्ट बात है । प्रापर्टी वाले, दौलत वाले इन को ले लेते हैं ग्रौर इन का इस्तेमाल हरिजनों के खिलाफ, वीकर सेक्शन्स के खिलाफ करते हैं । यह भी कहा गया है कि इन को भी दिये जायें । मैं तो कहंगा कि राइट टु ग्राम्स कर दीजिए । दूनिया में है फंडामेंटल राइट टु ग्रार्म । ग्रमरीकी संविधान में फंडामेंटल राइट टु ग्रामें है । लेकिन उन की परम्परा दूसरी है । वह ग्रार्म्स पर जन्मे, ग्रार्म्स पर परे ग्रौर ग्राम्स पर ही बढ रहे हैं ग्रौ ग्राम्स पर ही दुनिया में छाये हुए हैं हमारी परम्परा कुछ दूसरी रही है मौ

The Arms

[RAJYA SABHA]

[श्री शिव चन्द्र झा] राइट ट, ग्राम्स फंडामेंटल बनाना हमारी परम्परा के ग्रनुकूल नहीं होगा । लेकिन साथ-साथ यह भी बात है, ग्रध्यक्ष महोदय, कि जो ग्रवैध ढंग से हथियार रखे जाते हे उन का इस्तेमाल होता है । जो मकसद दिया गया है ग्रपनी सुरक्षा के लिए उसका दुरुपयोग ग्रांखों के सामने हर जगह हो रहा है ।

अब जहांतक यह विधेयक है क्रार्म्स का पब्लिक प्लेसेज में ले जाना, उन का इस्तेमाल होना, इस के लिये मैं जानना चाहताहूं कि नया इस विधेयक में कोई प्रावधान है इस को रोकने के लिये । <mark>अवैध हवियार</mark> हैं मंदिर में मस्जिद में, अवैध हथियार हैं गुरुद्वारे में । क्या ग्राप **के यहां प्रावधान** है कि उन को ग्राप ले लें। ग्राप जानते हैं कि ग्रबैध हथियार वहां हैं। क्या ग्राप उन को ले सकते हैं ? इस के लिये कोई प्राबधान नहीं है। यदि नहीं है तो ग्राप साफ कर दें । इसी लिये इस विधेयक की ड्राफि्टंग ठीक नहीं है । ग्रव एक ग्रादमी तीन हथियार रख सकता है । वह तीन क्यों रखेगा? ग्राप थोड़ी देर के लिये बतलाइये कि किस ग्राधार पर ग्राप ने यह तीन की संख्या निश्चित करदी। ग्राप ने चार या दो क्यों नहीं तय किया ? किस आधार पर यह फैसला किया गया? इस लिये मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से यह काम सरकार करना चाहती है ग्रौर यह विधेयक लायी है उस के लिये यह विधेयक एप्रोप्रियेट नहीं है, कांप्रेहेंसिव नहीं है और इसी लिये मेरा संशोधन है कि इस को एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । दो चार महीने में पृथ्वी उलटने नहीं जा रही है । जब से क्रार्डिनेंस जारी कर के क्राप ने इस दिणा में काम शुरू किया है क्राप बताये कि इस जानून के तहत ग्राप ने कितने वैश्व इपियारों को अपने कब्जे में किया।

प्राप ने कितने लोगों कें। पकड़ा ? इस लिये दो चार महीने के बाद भी जब यह सेलेक्ट कमेटी से छन कर आ जायगा तो उस समय तक कोई आसमान नहीं टूटने जा रहा है और इस लिये मैं चाहूंगा कि इस को और कांप्रेहेंसिव बनाने के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । जिस रूप में यह विधेयक आया है म उस का पूरी ताकत के साथ विरोध करता हूं।

श्री जगदोश प्रसाद माथुर : उप-समाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी चौड़ी बात कहने की गुजायश नहीं है । मैं ने इस ग्रध्यादेश का विरोध तीन कारणों से किया था । प्रथम, ग्रध्यादेश की ग्रावण्यकता नहीं है । कायदे से विधेयक लाया जाना चाहिए था । मैं ने निवेदन किया था मंत्री महोदय से कि जब बिल को प्रस्तुत करें तो बतायें कि जब से ग्रध्यादेश जारी किया गया, जून से, उस समय से म्राज तक, जिस ^{े.} दिन यह विधेयक सामने ग्रा रहा है उन्होंने इस अध्यादेश के अंतर्गत क्या कार्यवाही की है । डिस्टर्ब एरिया उन्होंने कहीं-कहीं घोषित किये । पंजाब में किया होगा और वहां पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है इस के तहत, यह मैं समझंता हं कि ग्रपना जवाब देते समय वे इस का स्पष्टीकरण करेंगे जिस से हमें जो संदेह है वह दूर हो सके कि वास्तव में अध्यादेश की ग्रावश्य कता ही नहीं था।

दूसरे, मैं ने यह भी कहा था कि मैं इस को भावना से सहमत हूं लेकिन यह विधेयक अपूर्ण है । और इसके लिये दो तीन मुद्दे मैं ने बताये थे । प्रथम, यह कि डिस्टर्ब ऐरियाज में इस्तेमाल होने वाले जो लाइसेंस्ड ग्रार्म्स हैं अरीर अनलाइसेंस्ड ग्रार्म्स हैं उनका ग्रलगपन आप ने दिखाया नहीं है । जो लाइसेंस्ड आर्म्स हैं वह तो आप रखवा लेंगे लेकिन ग्रनलाइसेंस्ड ग्रार्म्स जो इस्तेमाल होते हैं डिस्टर्ब ऐरियाज में उन को सरकार को किसी भी ग्राधार पर नहीं रखने देना चाहिए झौर उस के लिये सजा कड़ी करनी चाहिए थी क्योंकि स्वयं माप ने इस विघेषक में कहा है कि जो डिस्टबर्स हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं इस लिबे इस की ग्रावश्यकता है। तो उपद्रव हो रहे हैं ग्रोर सब जानते हैं कि भोड़ में कोई झादमी अधिकृत हथियार ले कर लड़ता नहीं है, उन के पास अनधिकृत हथियार ही होते हैं । तो अनधिकृत हथियार जो भी रखते हैं उन के विषय में ग्रौर ग्रधिक कठोरता बरती जानी चाहिए थी। इसी लिये मैंने इस का विरोध किया था।

ंतीसरी बात मैं ने यह कही कि भंजाब में, ग्रौर ग्रासाम में ऐसे उदाहरण मिले थे कि स्मगल्ड ग्राम्स ग्रा रहे हैं बहत बड़ी संख्या में । जो कस्टम्स ऐक्ट है उस के ग्रलावा स्मगल कर के जो हथियार ग्राते हैं उन की रोकथाम के लिये कोई गुंजायश नहीं है और पंजान में तो विशेषतौर से देखा गया है कि बड़ी माता में विदेशे हथियारों का उपद्रबकारी इस्तेमाल कर रहे हैं । तो उन की रोकवाम के लिये कोई बात म्राप ने नहीं की है। तो मेरा निवेदन है कि जो स्मगल्ड ग्रार्म्स हैं ग्रौर जो इस्तेमाल होते हैं उपद्रव में स्रोर खास कर डिस्टर्बड एरियाज में इस्तेमाल होते हैं उन के लिये कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

मेरा कहना यह है कि ग्रगर कोई स्मगल्ड ग्रार्म का प्रयोग करता है तो कम से कम उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए ।

अन्त में मैंने यह बात कहो थो कि जो सार्बजनिक स्थान है उनकी व्याख्या में आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो धर्म स्थान है जैसे मंदिर, गुरुद्वारा मस्जिद और चर्च इस प्रकार के स्थानों में कानून में आपका श्रधिकार है या नहीं ? आप कहिये सैद्धान्तिक प्रधिकार है, लेकिन बास्तबिक स्थिति यह है कि पिछले कई सालों से मुजरिम धर्म स्थानों के अन्दर खिथे हुए हैं, इथियार रब रहे हैं, गोलियों से अन्दर मारते हैं, लाशें बाहर मिलती है । आज इस बात की आवश्यकतन है कि आप स्पष्ट करें ...

श्री (मौलाना) ग्रसरारुल हक (राज-स्थान) : कहां मारे गये हैं ? ... (व्यवज्ञान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नाम आप जानते हैं, मस्जिद में मारे जाते हैं, गुरुद्वारों में मारे जाते हैं (व्यवधान) ग्रमुतसर में मारे गये ।...

श्री (मौलाना) ग्रसरारुल हकः लाशें ग्रमृतसर में मिली हैं (व्यवधान)

भी जगदोश प्रसाद माथुरः मैंने⊹ कहा है ग्रमृतसर कहां है । (व्यवधान)

श्री (मौलाना) ग्रसरारुल हक : ईमाम-बाड़े में मस्जिद में ग्राम्म नहीं थे, पटाखे थे । ... (व्यवधान) । गुरुद्वारे में गोली मारी गई, उसका नाम लेने से डरते है ... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ग्रगर मौलाना साहब की इच्छा यह है कि

[श्री जगदोश प्रसाद माथुर] मस्जिद में हथियार रखने की छूट दो जाये तो मैं उससे सहमत नहीं टूं। (व्यवधान)

श्री (मौलाना) ग्रसराहल हकः कोई नहीं चाहता ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो फिर जब मैं यह कहता हूं तो ग्रापको इससे क्यों एतराज हुग्रा । इससे मुझे शक हुग्रा कि मौलना साहब यस्जिद में हथि-बार रखने की इजाजत बाहते हैं । ग्रापने बहुत ग्रच्छा किया, ग्रापने सफाई दे दो । ... (व्यवधान)

तो मेरा ग्राग्रह यह है कि ग्राज जैसी स्थिति देश में है उसमें लका-छिपी को बात नहीं रहनी चाहिए । विधेयक के अन्दर प्रावधान होना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों में मंदिर. मस्जिद. ग्रौर चर्च गरुद्वारे. सभी स्थान शामिल होने चाहिए । अगर आप इस में संशोधन नहीं करना चाहते तो मैं चाहंगा कि मंद्री महोदय सदन के पटल पर ग्रपना जवाब देते समय कहें कि ये धार्मिक स्थान हैं । इसलिये ग्रापसे मैंने यह ग्राग्रह किया है कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, ग्राप का ग्रध्यादेश चल रहा है। ग्राप इस को वापिस ले लें ग्रौर एक ग्रच्छा प्रभावी विधेयक सदन के सामने लायें जिससे कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, at the outset, I would like to thank all those hon. Members who have participated in this debate. I have recorded all the names of the hon. Members who have participated in the debate. So far, fourteen Members have participated in this very useful debate. In the course of their speeches, naturally, they have made various suggestions which I have taken note of. And I would like to point out here that under the Act itself, we are taking the opportunity to frame rules. When we frame the rules, we will take into consideration the suggestions made by the hon. Members and try to implement them, whatever is possible.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: See that sportsmen are exempted.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I will see. As I said, we have the power, under the Act. to frame rules. And when we frame the rules, definitely, all these suggestions will be taken into consideration and whatever is possible and useful will naturally be included in the rules.

Sir, before I take up the points made by hon. Members, I would like to say one thing here. This particular amending Bill has to be viewed in its proper perspective. This should be viewed in the context of the overall situation which is prevailing now in our country. I am talking about the law and order situation. We know what is happening in some parts of our country. We should view this amending. Bill in this context. We know that antisocial and anti-national elements are active. Nobody can deny that. They are active in various parts of the country and they are creating problems, creating law and order situations. It is the duty of the Government to see that these anti-national activities are curbed as early as possible. Therefore, Sir, the prime need now is to check proliferation of arms in the country and this can be achieved only by making conditions for acquisition and possession of arms more stringent and. secondly, by making punishment more deterrent. With the deterrent effect that will be there we can improve the situation. The present amending Bill is directed towards achieving these very objectives.

Two amendments have been suggested here, I would like to take up this amendment first. Shri Ram Naresh Kushwaha has suggested, in fact, to arm everybody. While we are talking of disarming the people, his amendment practically means to arm the people. Also, indirectly he wants liberalisation of our licensing policy;

Liberalisation of licensing policy today for any specific group of society may not be condusive to maintenance of peace and order. I can suggest to my friend that it may even aggravate the situation in certain places. On that very basis we are not in a position to accept his amendment. So far as weaker sections are concerned, wherever they are, it is the prime duty of the Government to see that their interest is looked after and we have taken various measures in this respect. With the cooperation of all concerned we will be able to look to the interests of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and also the weaker sections of population in our society. So, this amendment cannot be accepted.

The other amendment was, why not it was one firearm? Instead of three it should be one. In this also some of the hon. Members have asked, what was the criteria for suggesting three firearms for an individual? The logic behind the imposition of a ceiling of three arms is like this. I would like to inform the hon. Members that serious thought and detailed consideration was given to this important issue and it was considered that -ceiling of three firearms per licencee would meet the requirements of most of the persons, whether it is for self-protection or for crop protection or for sporting protection. For self-protection an indivi-(dual may need a revolver or a pisto), for agricultural safety he may need a gun and for any other sporting activity he may need another type of gun. (Interruptions). That is for every licencee. Even if he has three licences for three different types of guns, it cannot be for a family. The provisions like this cannot stand the scrutiny of the law. This is dependent upon the requirements of an individual. For exampcan have le, I may say any individual three pistols with him or he can have either one type of category or the other. This view was taken so far as the requirements of an individual were concerned. Also as there is no limit for holding firearms at present we felt that the ceiling of three firearms per licencee was neither high nor low, but strikes a reasonable balance. So, this is the logic for the proposal for having three firearms for an individual. Therefore, the suggestion of the Members cannot be accepted. (Interruptions).

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: In a family of five persons if each individual applies for a licence....

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: The provision is very clear. Any individual can have three licences and he can keep three weapons. So, if there are five persons in a family and if everybody is entitled to have licences, they can keep three weopens each. Every individual is free to have three licences provided he is entitled.

4 р.м.

About the demand for referring it to the Select Committee, we are not in a position to accept it because...

श्री शिव चन्द्र झाः इसमें नुकसानः क्या होगा ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I will give the reasons also. For the following reasons I cannot accept it. The present Bill retains all the main features of the ealier Arms (Amendment) Bill, 1981, which was passed by Rajya Sabha. While initiating the debate also, in mý initial speech I had referred to this, 1t. was thoroughly discussed in this House. We have kept all its provisions in the present amending Bill. We have added more stringent measures and two ne₩ features have been introduced in the present Bill--enhancement of the punishment for various offences and provisions for minimum punishment in respect of some of the offences and inclusion of two new sections which seek to prohibit the possession of arms in disturbed areas for specified periods and prohibition on carrying of arms in public places in disturbed areas for specified periods.

[Shri Nihar Ranjan Laskar]

The Bill was passed in 1981 after detailed discussion on 8th September, Even at that time, I think my friend, Mr. Jha, had proposed an identical amendment which was negatived by the House. The Amondment Bill of 1981 was based on a detailed study carried out by an expert group under the acgis of the Bureau of Police Research and Development and subsequent consultation with the Ministry We also had discussions with of Law. that Ministry. After the passage of the Bill in the Rajya Sabha, during the time it was pending before the Lok Sabha consultations were held with Members of Parliament. Various Members of Parliament were consulted and we have taken their views also. Not only that, other eminent people connected with the administration of law and order, arms and justice have also been consulted in bet-The Government also ween this period. had before it the wide ranging recommendations made by the National Police Commission about the amendments in the Arms Law.

So you can see that Government have taken all precautions to consult the various people who are legitimately connected with this. Also we have consulted a very wide range of public opinion and taken into consideration the views of experts. Therefore, no useful purpose will be served by referring this Bill again to the Select Committee.

. SHRI AJIT KUMAR SHARMA: So opinion of Lok Sabha Members was not necessary at all after consulting all these experts.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Not Lok Sabha Members. We have consulted our Members of Parliament. That means Members of both the Houses and not Lok Sabha alone.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: Individual Members can not mean Lok Sabha.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: So this also we are not in a position to accept.

One more point. I think some of the friends were raising the point why 45 days' time was given to the police. and there may be some misuse. One suggestion was also put that this can be misused by police because the people may bribe the polnice so that they may not end the report. We will see to it that this is not done. We will frame rules and we will see to it. After all, the police officer is also answerable why he was not in a position to give the report to the magistrate or the executive officer within the specified time. If he is supposed to do it, he must explain why he was not able to do it. We will see to that also.

Mr. Another point was raised bv Dinesh Goswami. He is not here. His contention was as if the Government is taking away arms from the persons who have excess arms beyond three. It is not the a fact. It will be just kept with the police or any other agency and We are not licensee is entitled to sell. also providing a time limit for that. They have the time to dispose of arms depo-The only provision we are maksited ing is for 45 days notice to be given so that the antecedents of the person with whom he is dealing and where he is likely to sell it can be known.

About sportsmen, I have already 38sured the other House and I would like. to assure this House and the concerned people that we will see that under the rules that we make and under the Act... certain provisions are made whereunder some category of people will be exempted. And in these exemptions, this category will also come. We will see that in regard to arms in museum and also antiques and other obsolete and decorative arms, if there are any, care will be taken about them under the provisions of the Act or under the rules.

These are some of the points that they have raised and I think I have answered all of them.

"That this House disapproves the Arms (Amendment) Ordinance, 1983 (No. 4 of 1983) promulgated by the President on the 22nd June, 1983."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Now I shall put the amendment of Shri Shiva Chandra Jha to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:—

- 1. Shri R. R. Morarka
- 2. Shri Biswa Goswami
- 3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
- 4. Prof. Sourendra Bhattacharjee
- 5. Shri G. C. Bhattacharya
- 6. Shri Suraj Prasad
- 7. Shri Rameshwar Singh
- 8. Shri Nepaldev Bhattacharya
- 9. Shri Dipen Ghosh

10. Shri Hari Shankar Bhabhra

- 11. Shri Kalraj Mishra
- 12. Shrimati Mohinder Kaur
 - 13. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first week of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): I shall now put the amendment of Shri Suraj Prasad to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:---

(Amdí.) Bill, 1983

- 1. Shri Shiva Chandra Jha
- 2. Dr. Mahabir Prasad
- 3. Dr. Bhai Mahavir
- 4. Shri Rameshwar Singh
- 5. Shri Satya Pal Malik
- 6. Shri Ramanand Yadav
- 7. Shri Usha Malhotra
- 8. Shri Suraj Prasad
- 9. Shri Dipen Ghosh

with instructions to report by the first, week of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Now I shall put the motion moved by the hon. Minister, Shri Nihar Ranjan Laskar to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI R. R. MORARKA): We shall now take up clause--by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (Amendment of Section 3)

SHRI SURAJ PRASAD: I move:

"That at page 1, line 16 for the word 'three' the word 'one' be substituted."

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा ग्रमोंडमोंट यह है कि क्लाज 2 मे है कि :

"No person, other than a person referred to in sub-section (3), shall acquire, have in his possession or carry, at any time, more than three firearms."

مريمه معريد وبالتربي والمرواني والمراجع والأراث فالمراجع

[श्री सुरज प्रसाद]

इस में मैं चाहता हं कि जहां 3 है, उसके स्थान पर 1 रखा जाय। में कहना चाहता हं कि

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): You have already said. You have made your speech. Now you have moved your amendment. I will put the amendment to vote.

The question is:

1. "That at page 1, line 16 for the word three the word one be substituted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Now, the question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 and 5 was added to the Bill.

Clause 6 (Amendment of Section 13)

SHRI SURAJ PRASAD: I move:

2. "That at page 3, line 6 for the words 'the prescribed time" the words "one month" be substituted,"

महोदय, इस में यह है कि पुलिस के यहां दरख्वास्त दी जायेगी । लाइसेंस के लिये जब दरख्वास्त दी जायेगी तो पूलिस को रिपोर्ट देनी होगी प्रिस्काइब्ड टाइम में । यह प्रिस्काइब्ड टाइम इस में पेंशन नहीं है। आमतौद्ध पर हम देखते हैं पुलिस कई ग्रादिमियों की रिपोर्ट भेजती ही नहीं है । इसलिये मैं चाहता हं कि इस के लिये एक समय निश्चित किया जाये जिसके ग्रंदर पूलिस ग्रपनी रिपोर्ट दे दे । इसलिये जहां लिखा हुग्रा है प्रिस्काइब्ड टाइम, उसके स्थान पर वन मन्थ रखा जाय ।

The question was proposed.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, only one thing I would like to say. Only in some specific and very limited cases this provision will be applied. The police will have to be given this power. Under certain contingencies if the officer fails to give the report, then only this provision will apply. I can assure the hon. Member and the House that only in exceptional cases this will be applied.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is:-

2. "That at page 3, line 6 for the words 'the prescribed time' the words one month be substituted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is:-

"That Clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7 Insertion of new sections 24A and 24B

SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA: Sir. I move:-

3. "That at page 4, after line 46 the following proviso be inserted, namely:-

'Provided that such arms shall not include hand-made arms".

मान्यवर, मैंने यह ग्रमन्डमेंट इसलिये रखा है कि सुविधायें प्राप्त वर्ग को वैद्य ग्रौर ग्रवंध हथियार देने का प्रबन्ध सर-कार ने किया है ग्रौर जो ग्रसुविधा प्राप्त हैं हरिजन ग्रादिवासी ग्रौर पिछड़े वर्ग उसको न तो वैध हथियार मिल सकता है ग्रौर ग्रगर ग्राप देना भी चाहें तो भी वह खरीद नहीं सकता है और अवैध हथियार तो वह रख ही नहीं सकता क्योंकि न तो उसका कोई अधिकार है न कोई नेता है ग्रौर न सरकार में कोई

संरक्षण हैलेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग के पास ये सारी चीजें हैं जिसका नतीजा यह है कि एक तरफा गर होता है । एक तरफ भूखे भेडियों के सामने इन निहत्थे गरीबों को छोड़ दिया गाया है लूट लेने के लिये, घर फूंक देने के लिये, उजाड देने के लिये, बलात्कार करने के लिये जो जो भी वह कुकर्म कर सके लेकिन यह कमजार वर्ग उनका मुकाबलान कर सके । पुलिस तो करती नहीं सरकार सुरक्षा देती नहीं ग्रौर उनके हाथ में कोई हथियार नहीं दे रही है । जिससे वे अपनो रक्षा कर सकें ।

The motion was proposed.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: There is no distinction that we are making here. Everybody is entitled to have three firearms. We are not making any distinction or discrimination in regard to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Nothing like that...

(व्यवधान)

श्वी राम नरेश कुशवाहा : कलेक्टर नहीं देगा (व्यवधान) ग्राप दे ही नहीं सकते किसी गरीब ग्रादमी को ग्रौर ग्रगर दे भी दें तो वह खरीद ही नहीं सकेगा । दोनों बातें हैं क्योंकि ग्रापके हथियार इतने मंहगे हैं कि वह खरीद भी नहीं सकता ग्राप उनको दे भी नहीं सकते मान्यवर, जरा यह बता दीजिये कि ग्रापने कितने ग्रादिवासियों को हथियार दिलायें हैं ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: He is suggesting indirectly ... (*interruptions*). That is not the policy of the Government. THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is:---

3. "That at page 4, after line 46 the following proviso be inserted, namely—

Provided that such arms shall not include hand-made arms."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is:—

"That Clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 to 17 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, I move:----

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABOR-TY (West Bengal): Sir, I only draw the attention of the Minister, the Government must take some sort of prohibitive measure because possession of three firearms by an individual may create а serjous situation. I have got a family of 40 members and I can have 120 arms. It will be fantastic So, the rule-making power cannot override the statute. The Minister said we have got the rule-making power and in the rule we shall try to restrict it. I hope the Minister will try to keep the language in such a way that at least some restriction is put so that the authorities may not give three arms at a time to one individual.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: We shall look into the suggestion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is— "That the Bill be passed."

> 가운 다음. 1955년 - 1957년 - 1957년 1957년

The motion was adopted.